[2022] 15 एस. सी. आर. 1066

नरिंदर सिंह और हमारा।

वी.

दिवेश भूटानी और ओआरएस।

(2013 की सिविल अपील सं. 10294)

21 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और

सी. टी. रविकुमार, जेजे।]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 - धारा 2-पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 [पंजाब भूमि संरक्षण द्वारा संशोधित के अनुसार]

(हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019] - धारा 4-वन अधिनियम, 1927-क्या कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष आदेश के अंतर्गत आती है। 4 1980 के वन अधिनियम के अर्थ में पी. एल. पी. ए. की एक वन भूमि है-आयोजितः यू/एस द्वारा जारी किए गए विशेष आदेशों के अंतर्गत आने वाली भूमि। 4 पी. एल. पी. ए. के वन भूमि के सभी क्षेत्र एस के अर्थ के भीतर हैं। 2 1980 के वन अधिनियम और इसलिए, राज्य

सरकार या सक्षम प्राधिकारी केंद्र की पूर्व मंजूरी के बिना गैर-वन गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

सरकार डब्ल्यू. ई. एफ. 25.10.1980-केंद्र की पूर्व अनुमति

सरकार वन के उपयोगकर्ता के किसी भी परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है या मानित वन भूमि कहने के लिए-यहां तक कि निर्वाह के दौरान भी

विशेष आदेश यू/एस। 4 पी. एल. पी. ए. के केंद्र सरकार की मंजूरी से राज्य या कोई सक्षम प्राधिकारी गैर-वन उपयोग के लिए अनुमति दे सकता है-यदि इस तरह के गैर-वन उपयोग की अनुमति दी जाती है।

एस के साथ। 2 1980 के वन अधिनियम की उस सीमा तक, विशेष आदेशों यू/एस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। 4 एस के शुरुआती भाग में उपयोग की जाने वाली भाषा को देखते हुए पी. एल. पी. ए. लागू नहीं होगा। 2 1980 का वन अधिनियम-यह

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल इसलिए कि यू/एस द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। 3 पी. एल. पी. ए. की वह भूमि जो ऐसी अधिसूचना का विषय है, वास्तव में 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन भूमि नहीं बनेगी।

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1. पंजाब भूमि की धारा 4 में विभिन्न खंडों में विभिन्न प्रतिबंध, विनियम और निषेध

वन भूमि के संबंध में संरक्षण अधिनियम, 1900 (पी. एल. पी. ए.) को अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। जबकि, पी. एल. पी. ए. की धारा 3 किसी भी क्षेत्र विषय के संबंध में एक सामान्य अधिसूचना जारी करने पर विचार करती है।

क्षरण के लिए या क्षरण के लिए उत्तरदायी होने की संभावना जब यह दिखाई देता है राज्य सरकार को निर्देश दें कि उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम के लिए प्रावधान करना वांछनीय है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पी. एल. पी. ए. का एक उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना है जो वनों की कटाई के कारण हो सकता है। जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि वनों की कटाई के परिणामस्वरूप या

राज्य सरकार या राज्य के अधिकारी अनुमति दे सकते हैं 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद ही गैर-वन उपयोग की अनुमति दी जाती है। [पैरा 47] [1104-ए-एफ]

2. पी. एल. पी. ए. की धारा 5 का खंड (ए) सामान्य रूप से किसी भी भूमि की खेती को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है।

धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले खेती। हालांकि, धारा 5 के तहत प्रतिबंध या निषेध करने की शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में किया जा सकता है जहां प्रकाशन से पहले धारा 3 के तहत अधिसूचना, किसी भी पत्थर का उत्खनन या किसी भी चूने को जलाया जा रहा था। इस प्रकार, धारा 4 और पी. एल. पी. ए. की धारा 5 में उपयोग की गई भाषा के बीच एक स्पष्ट अंतर है। हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है कि क्या पीएलपीए की धारा 5 के तहत एक विशेष अधिसूचना का हिस्सा बनने वाली भूमि वास्तव में 1980 के वन अधिनियम के तहत वन बन जाती है। [पैरा 48] [1104-एफ-एच] [2022] 15 एस. सी. आर.

3. याचिकाओं के इस समूह में, यह न्यायालय संबंधित है

राज्य। इसलिए, प्रथम दृष्टया, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 2019 का संशोधन अधिनियम 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के प्रतिकूल और उल्लंघनकारी होगा, यदि अन्यथा समझा जाता है। इसलिए क्या 2019 का संशोधन अधिनियम दिया गया है। प्रभाव हो या न हो, यह पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि की स्थिति को उक्त भूमि के रूप में नहीं बदलेगा।

25 अक्टूबर से वन के सभी भागों को अपने कब्जे में ले लें

1980 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत। इसलिए, इन याचिकाओं में इस मुद्दे से निपटने की आवश्यकता नहीं है कि क्या

4. पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के दायरे में आने वाली भूमि में वन भूमि के सभी भाग हैं। 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 का अर्थ और इसलिए, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी 25 अक्टूबर 1980 से केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना गैर-वन गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति नरिंदर सिंह और ओआरएस के लिए सर्वोत्कृष्ट है।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस।

वन के उपयोगकर्ता के किसी भी परिवर्तन की अनुमति दें या मानित वन भूमि कहें। यह न्यायालय यहां यह जोड़ सकता है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों के निर्वाह के दौरान भी, केंद्र सरकार, राज्य या किसी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ

गैर-वन उपयोग के लिए अनुमति दे सकते हैं। यदि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार इस तरह के गैर-वन उपयोग की अनुमति दी जाती है, तो उस हद तक पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के शुरुआती भाग में उपयोग की गई भाषा को देखते हुए लागू नहीं होंगे। यह न्यायालय यह भी स्पष्ट कर सकता है कि केवल इसलिए कि एक अधिसूचना जारी की गई है

पीएलपीए की धारा 3 के तहत, जो भूमि इस तरह की अधिसूचना का विषय है, वह 1980 के वन अधिनियम के अर्थ में वन भूमि नहीं बनेगी। [पैरा 64] [1115-सी-ई]

टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम भारत संघ और

ओआरएस। (1997) 2 एस. सी. सी. 267 [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 982; टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम। भारत संघ और

ओआरएस। (2008) 16 एससीसी 401; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ और ओआरएस। (2004) 12 एससीसी 118: [2004] 3 एससीआर 126; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। (2008) 17 एस. सी. सी. 295: [2008] 8 एस. सी. आर. 828; बी. एस. संधू बनाम भारत सरकार और अन्य (2014) 12 एससीसी 172; एम. सी. मेहता (कांत एन्क्लेव मैटर्स, इन रे.) v. भारत संघ और अन्य। (2018) 18 एस. सी. सी. 397 [2018] 11 एस. सी. आर. 384; राजीव सूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन

एससी 7; ग्रीन दून और अन्य के लिए नागरिक बनाम। संघ का

भारत और अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1243

संदर्भित किया गया। विजय बंसल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 8073; लक्ष्मण इच्छाराम बनाम। प्रभागीय वन अधिकारी, रायगढ़ आकाशवाणी 1953 नागपुर

पृष्ठ 51-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 9 पूरक। एससीआर 982

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

(2008) 16 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2004] 3 एससीआर 126

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2008] 8 एससीआर 828

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014] 6 एससीआर 329

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2018] 11 एससीआर 384

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णयः सिविल अपील

2013 का सं. 10294

राष्ट्रीय संविधान के 03.05.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 के आवेदन No.42 में हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

के साथ

2014 की सिविल अपील Nos.8454,2016 की 8173,2013 की 11000 और

लिखित याचिका (सिविल) सं। 1008 , 1031 और 2021 का 1320।

तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी,

अनिल ग्रोवर, सीनियर एएजी, बी. के. सतीजा, एएजी, अरुण भारद्वाज, विकास सिंह, संजय पारिख, कॉलिन गोंजाल्विस, मनोज स्वरूप, नरेंद्र हुड्डा, डी. एन. गोबर्धन, सीनियर एडवोकेट्स। , अजय बंसल, राहुल के. शर्मा, नवीन गुप्ता, समर विजय सिंह, अभिषेक शर्मा, सुश्री गौरान, संजय कुमार विसेन, डॉ. मोनिका गुसैन, सुश्री बबीता मिश्रा, सारद के. आर। सिंघानिया, गुरमीत सिंह मक्कर, सुमित तेतरवाल, वंशदीप डालमिया, चिनमयी चंद्रा, सुश्री मोनिशा हांडा, राजुल श्रीवास्तव, मोहित डी. राम, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सतविक पारिख, सुश्री संजना थॉमस, कवलप्रीत कौर, हैदर अली, सुश्री अमित शुक्ला, सत्य मित्रा, नीलमणि पंत, राघव भाटिया, अरुणेश ग्रोवर, अंकित स्वरूप, शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी,

शशि भूषण नगर, सुश्री सतविसा पटनायक, मेसर्स देवसा एंड कंपनी, आकाश कामरा, सुश्री गौरी गोबर्धन, सुश्री सुनीता सिंह चौहान, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, ई. विनय कुमार, नरेश कुमार, सुश्री रंजीता रोहतगी, सौरभ टंडन, सुश्री चारू नरूला, अनुज गुप्ता, तेजस्वी कुमार प्रधान, मनोरंजन

पैकराय, ऋत्विक दत्ता, राहुल चौधरी, सुश्री केवी भारती उपाध्याय, केदार नाथ त्रिपाठी, सिबो शंकर मिश्रा, विजय कुमार, सुश्री मंजीत कृपाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

1. इन अपीलों और रिट याचिकाओं में शामिल व्यापक मुद्दा है -

" क्या पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (संक्षेप में, 'पी. एल. पी. ए.') की धारा 4 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जारी विशेष आदेश के तहत आने वाली भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (संक्षेप में, '1980 वन अधिनियम') के अर्थ में 'वन भूमि' है? नरिंदर सिंह और हमारा।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

वास्तविक पहलू

2. 2013 की सिविल अपील No.10294,2014 की सिविल अपील No.8454,2016 की सिविल अपील No.8173 और 2013 की सिविल अपील संख्या 11000 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'एनजीटी') द्वारा पारित आदेशों के लिए अपवाद।

3. 2013 की सिविल अपील 2013 के मूल आवेदन No.42 में एनजीटी द्वारा पारित 3 मई 2013 के आदेश पर आपत्ति लेती है। उक्त आवेदन हरियाणा राज्य में फरीदाबाद जिले की ग्राम अनंगपुर तहसील बल्लभगढ़ की खसरा, 1374 और 1378 वाली भूमि पर अतिक्रमणकारियों की अवैध गैर-वन गतिविधियों की ओर एनजीटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर किया गया था। एन. जी. टी. ने विवादित भूमि पर किसी भी गैर-वन गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने वाला आदेश पारित किया। एनजीटी इस आधार पर आगे बढ़ा कि 18 अगस्त 1992 के आदेश के तहत गाँव अनंगपुर की भूमि जारी की गई। पीएलपीए की धारा 4 के तहत 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन भूमि थी। 18 अगस्त 1992 के उक्त आदेश के पारित होने से पहले, फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ तहसील द्वारा कवर किए गए पूरे क्षेत्र को अधिसूचित करते हुए पीएलपीए की धारा 3 के तहत 10 अप्रैल 1992 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। अपीलार्थी 18 अगस्त 1992 को जारी किए गए उक्त आदेश के भूमि विषय पर विवाह कक्ष चला रहे हैं।

पीएलपीए की धारा 4।

4. 2016 की सिविल अपील No.8173 ने 2015 के मूल आवेदन No.519 में एन. जी. टी. द्वारा पारित 16 मई 2016 के आदेश पर आपत्ति जताई। 2015 के मूल आवेदन No.519 में, खसरा No.182 वाली भूमि पर वाणिज्यिक और गैर-वन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रार्थना की गई थी।

हरियाणा राज्य में फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ तहसील के गांव अंखिर का न्यूनतम, आर. ई. सी. टी. No.61, किला संख्या 19 (8-0), 20/1 (0-7) और 22/2 (7-17)।

उक्त भूमि गाँव अंखिर में कुछ भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत शक्ति के प्रयोग में हरियाणा सरकार द्वारा 18 अगस्त 1992 को जारी एक अन्य आदेश का विषय थी। एन. जी. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 के तहत उक्त आदेश के अंतर्गत आने वाली भूमि 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन भूमि थी।

5. 2013 की सिविल अपील No.11000 मूल आवेदन में एन. जी. टी. द्वारा पारित 3 मई 2013 के उसी आदेश पर आपत्ति लेती है।

2013 का No.42, जो 2013 की सिविल अपील No.10294 में चुनौती का विषय भी है। अपीलार्थी पीएलपीए की धारा 4 के तहत जारी 18 अगस्त 1992 के आदेश के भूमि विषय पर एक रेस्तरां के मालिक होने का दावा करते हैं।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. 2014 की सिविल अपील No.8454 भी एन. जी. टी. के 3 मई 2013 के उसी आदेश पर आपत्ति लेती है। उसमें अपीलार्थियों के पास विषय भूमि पर विवाह कक्ष हैं।

7. 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.1031 में याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू किया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अनंगपुर, अंखिर और मेवला गाँवों में भूमि के धारक बनें

महाराजपुर (संक्षेप में, 'उक्त तीन गाँव') हरियाणा राज्य के फरीबाद ज़िले की बल्लभगढ़ तहसील में स्थित है। उनके द्वारा धारित भूमि उक्त तीन गाँवों में कुछ भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत 18 अगस्त 1992 को जारी किए गए तीन अलग-अलग आदेशों का विषय है। यह याचिका फरीदाबाद नगर निगम द्वारा 21 अगस्त 2021 को जारी एक सार्वजनिक नोटिस पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में, जनता के सदस्यों को अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउस/बैंक्वेट हॉल/वन भूमि पर संरचनाओं को हटाने के लिए दो दिन का समय दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार के नगर निगम और वन विभाग

23 अगस्त 2021 को उक्त संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। रिट याचिका में, यह तर्क दिया गया है कि उक्त नोटिस इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर 2017 की याचिकाओं के लिए विशेष अनुमति (सिविल) Nos.7220-7221 (फरीदाबाद नगर निगम बनाम. खोरी गाँव निवासी कल्याण

अपने अध्यक्ष के माध्यम से संगठन)। एक घोषणा के लिए प्रार्थना की गई थी कि 18 अगस्त 1992 को पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी किए गए आदेश अन्य राहतों के लिए प्रार्थना करने के अलावा अवैध थे। यह तर्क दिया गया कि 18 अगस्त 1992 के उक्त आदेश अवैध थे क्योंकि पी. एल. पी. ए. की धारा 3,6,7 और 14 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। पंजाब भूमि संरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 (संक्षेप में, 2019 संशोधन अधिनियम) को अधिसूचित करने और लागू करने के लिए हरियाणा राज्य को आदेश पत्र जारी करने के लिए भी प्रार्थना की गई। 8. 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.1008 में याचिकाकर्ता गाँव अंखिर का निवासी होने का दावा करता है। वह जमीन का मालिक होने का दावा करता है।

ग्राम अंखिर का खसरा Nos.32 और 39। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि विषय भूमि पर निर्माण 18 अगस्त 1992 से पहले किया गया था। इसलिए, प्रत्यर्थियों को विषय भूमि पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे को बाधित करने और उस पर संरचनाओं को ध्वस्त करने से रोकने के लिए एक निर्देश देने की मांग की गई है।

9. 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1320 में याचिकाकर्ता गाँव पुराने लक्कड़पुर खोरी के निवासी होने का दावा करते हैं।

उनका तर्क है कि नरेंदर सिंह और ओआरएस। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

फरीदाबाद नगर निगम ने याचिका में उल्लिखित होटलों और फार्महाउस के मालिकों के साथ मिलीभगत और सांठगांठ में काम करते हुए उनकी संरचनाओं को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त नगर निगम ने याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को लागू किया है।

चुनकर और अपील करने के लिए 2017 की विशेष अनुमति Nos.7220-7221 के लिए पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत पारित आदेशों की विषय वस्तु भूमि पर निर्मित होटलों और फार्महाउस को बाधित नहीं करते हुए कुछ संरचनाओं का चयन करना। याचिका में प्रार्थना परमादेश की एक रिट जारी करने के लिए है, जिसमें प्रतिवादियों को गाँव पुराने लक्करपुर खोरी में याचिकाकर्ताओं के आवासीय संरचनाओं के संबंध में कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ

10. 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.1031 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं। उनका प्राथमिक निवेदन यह है कि केवल इसलिए कि विषय भूमि पीएलपीए की धारा 3,4 और 5 के तहत हरियाणा राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं/आदेशों द्वारा कवर की गई है, इसे 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन भूमि के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य वन विभाग के अभिलेखों में विचाराधीन भूमि को अवर्गीकृत वन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है क्योंकि वन विभाग केवल एक पर्यवेक्षी विभाग है।

उन्होंने पीएलपीए की योजना और विशेष रूप से धारा 3,4 और 5 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि पीएलपीए की धारा 3 के तहत अधिसूचना तभी जारी की जा सकती है जब राज्य की राय के अनुसार

सरकार, किसी भी क्षेत्र में उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम की आवश्यकता है जो कटाव के अधीन है या कटाव के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत आदेश केवल धारा 3 के तहत एक वैध अधिसूचना द्वारा कवर की गई भूमि के संबंध में जारी किए जा सकते हैं। उनका निवेदन है कि पीएलपीए की धारा 3 के तहत एक उचित अधिसूचना जारी करना पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत आदेश जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। उनका निवेदन है कि उक्त तीन गाँवों की किसी भी भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। उन्होंने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (संक्षेप में, 'भूमि राजस्व अधिनियम') के तहत जारी 17 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना पर भरोसा किया और तर्क दिया कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने उक्त तीन गांवों के क्षेत्र को छोड़कर बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद की तहसील की सीमाओं में बदलाव किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 17 अक्टूबर 1989 के बाद, उक्त तीन गाँवों में भूमि के संबंध में पीएलपीए की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इसलिए, [2022] 15 एस. सी. आर. के संबंध में आदेश जारी किए गए।

धारा 4 और 5 के तहत तीन गाँव अवैध हैं। उन्होंने बताया कि 1926 में पी. एल. पी. ए. में किए गए संशोधन के बाद, धारा 4 और 5 के तहत विचार किए गए आदेश केवल अस्थायी अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार धारा 4 और 5 के तहत आदेशों में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उक्त आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी मामले में, पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी 18 अगस्त 1992 के आदेश कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं जैसे कि क्लियरिंग या

उसमें उल्लिखित अधिकारियों की अनुमति के बिना भूमि को तोड़ना और पत्थरों आदि का उत्खनन करना। इस प्रकार, धारा 4 के तहत आदेशों द्वारा लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध उसमें उल्लिखित अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। वह. आग्रह किया कि पी. एल. पी. ए. के प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी वन या वन गतिविधियों की रक्षा करना नहीं है।

11. उन्होंने भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संक्षेप में, '1927 वन अधिनियम') के प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वन भूमि की तीन श्रेणियों से संबंधित है। पहली श्रेणी धारा 3 से 27 तक संरक्षित वनों की है। दूसरी श्रेणी है -

संरक्षित वन या अपशिष्ट-भूमि जो राज्य की संपत्ति है सरकार और आरक्षित वनों में शामिल नहीं। धारा 29 से 34 राज्य सरकार को ऐसी भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने में सक्षम बनाती है। तीसरी श्रेणी निजी भूमि की है। धारा 35 से 38 राज्य सरकार को किसी भी वन या बंजर भूमि में खेती के लिए भूमि को तोड़ना या साफ करना आदि जैसी कुछ गतिविधियों को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है। उन्होंने बताया कि पीएलपीए की धारा 4 के बीच महत्वपूर्ण अंतर है

धारा 35 के तहत जारी अधिसूचना से तीन महीने से अधिक और ऐसी अधिसूचना की तारीख से बारह साल से अधिक नहीं। उन्होंने आग्रह किया कि 1927 का अधिनियम वनों से संबंधित उपयुक्त कानून है। तथ्य यह है कि निजी भूमि से संबंधित धारा 35 से 38 के प्रावधानों को 1927 के अधिनियम के अध्याय 5 में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पी. एल. पी. ए. कोई ऐसा कानून नहीं है जो निजी संपत्तियों पर वनों से संबंधित है या जिसका उद्देश्य वनों से संबंधित है।

नरिंदर सिंह और हमारा। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

12. इस दलील पर पूर्वाग्रह के बिना कि पी. एल. पी. ए. वनों से बिल्कुल भी नहीं निपटता है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

प्रबल होते हैं। इसलिए, यदि किसी निजी भूमि को वन भूमि के रूप में माना जाना है, तो उसे 1927 के वन अधिनियम के अध्याय V में निर्धारित परीक्षणों को पूरा करना होगा। 13. उनके तर्क का एक अन्य अंग यह है कि विषय भूमि फरीदाबाद की धारा 29 के तहत अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र का एक हिस्सा थी।

जटिल (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में, 1971)

अधिनियम) और वास्तव में, विषय भूमि को शामिल करते हुए अंतिम विकास योजना 17 दिसंबर 1991 को तैयार और अधिसूचित की गई थी। 1971 के अधिनियम के तहत विकास योजना उन क्षेत्रों के मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद तैयार की जाती है जिन्हें नियोजित विकास के उद्देश्यों के लिए नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाने की संभावना है। एक बार जब किसी भूमि को नियंत्रित क्षेत्र के रूप में नामित किया जाता है, तो वह वन नहीं रहेगा।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि पी. एल. पी. ए. की धारा 6 द्वारा अनिवार्य रूप से, नियमों को लागू करने से पहले कोई जांच नहीं की गई थी

और पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत प्रतिबंध। 18 अगस्त 1992 के सरकारी आदेशों की सार्वजनिक सूचना में प्रकाशित नहीं की गई थी।

पीएलपीए की धारा 7 के अनुसार। इसके अलावा, धारा 7 (बी) के तहत, भूमि मालिक राज्य से मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

पीएलपीए की धारा 4 या 5 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सरकार। लेकिन 18 अगस्त 1992 के आदेशों से प्रभावित भूमि मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1927 के वन अधिनियम की धारा 37 में भी वन वाली निजी भूमि के मालिकों को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है। उन्होंने आग्रह किया कि यह मानते हुए कि धारा 4 के तहत 18 अगस्त 1992 के आदेश कानूनी हैं, याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक बार 2019 के संशोधन अधिनियम को 1985 की रिट याचिका (सिविल) No.4677 में पारित 1 मार्च 2019 के आदेश को संशोधित करके लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो पूरे मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 का संशोधन अधिनियम भूमि मालिकों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

15. टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए। भारत संघ और Ors.[1] (1997)

1 1 (1997) 2 एससीसी 267 [2022] 15 एस. सी. आर.

गोडावर्मन का मामला), उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय पी. एल. पी. ए. से संबंधित नहीं है। उन्होंने टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम के मामले में पारित अगले आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। भारत संघ और Ors.[2] (2008 गोडावर्मन का मामला) ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने केवल खनन गतिविधि को आगे बढ़ाने के संदर्भ में पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के दायरे में आने वाली भूमि पर विचार किया। पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों की भूमि विषय वस्तु वास्तव में 1980 के वन अधिनियम के तहत वन भूमि बन जाती है या नहीं, इस मुख्य मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाता है। उन्होंने एम. सी. मेहता बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी टिप्पणी की। भारत संघ और Ors.[3] 3 (पहला M.C.Mehta मामला)। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा जिस पर विचार किया जाता है वह राज्य सरकार के वन विभाग का रुख है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित क्षेत्र वन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि

उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने धारा 4 और 5 के तहत जारी आदेशों के कानूनी प्रभाव के मुख्य मुद्दे पर विचार नहीं किया है। एम. सी. मेहता बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बारे में उनके द्वारा यही तर्क दिया गया है। भारत संघ और Ors.4 (दूसरा एम. सी. मेहता मामला)। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बी. एस. संधू बनाम के मामले में। भारत सरकार और अन्य। ' , इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के दायरे में आने वाली भूमि हो भी सकती है और नहीं भी।

1980 के अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत वन भूमि होनी चाहिए।

16. विद्वान वकील ने एम. सी. मेहता (कांत एन्क्लेव) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर व्यापक दलीलें दीं।

मामले, रे में) वी. भारत संघ और Ors.6 (तीसरा एम. सी. मेहता मामला)। उनका निवेदन है कि हालांकि इस न्यायालय ने धारा 4 के तहत जारी 18 अगस्त 1992 के आदेश के बारे में आवेदक (आर. कांत एंड कंपनी) द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार किया है, लेकिन निर्णय असंगत है क्योंकि यह न्यायालय बी. एस. संधू के मामले में एक समन्वित पीठ के बाध्यकारी निर्णय पर विचार करने और उसका पालन करने में विफल रहा है। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में आवेदक ने पीएलपीए की धारा 4 के तहत 18 अगस्त 1992 के आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दी थी।

17. बार में निविदा किए गए विभिन्न मानचित्रों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने आग्रह किया कि यदि पी. एल. पी. ए. की धारा 3,4 और 5 के तहत अधिसूचनाओं/आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि को वन माना जाए, तो फरीदाबाद के पूरे जिले

2 (2008) 16 एस. सी. सी. 401

3 3 (2004) 12 एससीसी 118

4 (2008) 17 एससीसी-294

5 (2014) 12 एस. सी. सी 172

6 (2018) 18 एस. सी. सी. 397 नरिंदर सिंह और ओ. आर. एस. वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

और गुरुग्राम को 1980 के वन अधिनियम के तहत वनों के रूप में माना जाएगा, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। 18. 2016 की सिविल अपील No.8173 में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने सबसे पहले आग्रह किया कि फरीदाबाद तहसील को नहीं किया गया है।

पीएलपीए की धारा 3 के तहत अधिसूचित। उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ और फरीदाबाद फरीदाबाद जिले के अंतर्गत तहसील हैं। पीएलपीए की धारा 3 दिनांक 10 अप्रैल 1992 के तहत अधिसूचना केवल बल्लभगढ़ के संबंध में है।

तहसील। उनका निवेदन है कि गाँव अंखिर में अपीलार्थियों की भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और इसलिए, धारा 4 के तहत आदेश अवैध है। उन्होंने कहा कि 1927 का वन अधिनियम इस संबंध में मुआवजे का अनुदान प्रदान करता है। वन घोषित निजी भूमि। उन्होंने कहा कि 1927 के वन अधिनियम जो एक केंद्रीय विधान है और पी. एल. पी. ए जो एक राज्य विधान है, के बीच एक विसंगति है। उन्होंने आग्रह किया कि 1927 के वन अधिनियम की धारा 4,29 और 35 के तहत विभिन्न श्रेणियों की भूमि को वन घोषित करने का प्रावधान है। हालाँकि, पूर्व सूचना के बाद और प्रभावित व्यक्तियों को सुनने का अवसर देने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा, 1927 के वन अधिनियम की धारा 37 के तहत, वन घोषित निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान है और इसके परिणामस्वरूप, मुआवजे के भुगतान के संबंध में एक प्रावधान है। यह मानते हुए कि धारा 4 के तहत जारी आदेशों के अंतर्गत आने वाली भूमि

और पी. एल. पी. ए. के 5 वन 1980 के वन अधिनियम के तहत वन हैं, आदेश जारी करने से पहले मालिकों/प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है और मालिकों को पी. एल. पी. ए. के तहत केवल एक सीमित मुआवजा देय है। उन्होंने हरियाणा राज्य की ओर से दायर पहले के हलफनामों की ओर इशारा किया। सबसे पहले शपथ पत्र श्री बनारसी दास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा का है जो दिनांक 08 दिसंबर 1996 का है। उन्होंने 25 फरवरी 1997 को हरियाणा सरकार के वन विभाग के आयुक्त और सचिव श्री एस. के. माहेश्वरी द्वारा दायर हलफनामे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मानते हुए कि दोनों हलफनामों में उठाई गई दलीलें सही हैं, पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचनाओं द्वारा कवर किया गया क्षेत्र केवल वन बना रहेगा।

आदेशों में निर्दिष्ट अवधि की मुद्रा के दौरान। विद्वान।

अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में बी. एस. संधू 3 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा किया कि धारा 4 और 5 के तहत पारित आदेशों के तहत आने वाली भूमि आवश्यक रूप से वन नहीं हैं। 1980 के वन अधिनियम का अर्थ। उन्होंने कहा कि पी. एल. पी. ए. का सीमित उद्देश्य उप-मिट्टी के पानी को संरक्षित करना और मिट्टी के कटाव को रोकना था।

प्रस्तुत किया कि पी. एल. पी. ए. का उद्देश्य कभी भी वनों या वन भूमि से निपटना नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि क्या 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर एक विशेष भूमि वन है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले के तथ्यों में निर्णय लिया जाना चाहिए। अंत में, उन्होंने आग्रह किया कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 उसमें नामित अधिकारियों की अनुमति के बिना केवल कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। यह एक संकेत है कि धारा 4 के तहत आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि वन नहीं है।

19. 2013 की सिविल अपील संख्या 10294 में अपीलार्थियों की दलीलें भी इसी तरह की हैं। इसके अलावा, एक निवेदन किया गया कि पी. एल. पी. ए. की धारा 7 के अनुसार, धारा 3,4 और 5 के तहत अधिसूचनाएं/आदेश स्थानीय भाषा में प्रकाशित नहीं किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने 1971 के अधिनियम की धारा 29 और अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'एन. सी. आर. अधिनियम')। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन. सी. आर. अधिनियम का पी. एल. पी. ए. पर एक प्रमुख प्रभाव होगा, जो एक राज्य अधिनियम है।

राज्य सरकार की प्रस्तुतियाँ

20. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने श्री द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे पर व्यापक रूप से भरोसा किया।

सुरेश दलाल, एडिशनल। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा। उन्होंने कहा कि 1980 के वन अधिनियम का प्रभाव यह है कि धारा 2 में उल्लिखित कुछ उद्देश्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से वन भूमि को हमेशा गैर-वन उपयोग के लिए मोड़ दिया जा सकता है। पीएलपीए के विभिन्न प्रावधानों और समय-समय पर किए गए संशोधनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2019 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण यह स्पष्ट करता है कि पी. एल. पी. ए. का उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों को समाप्त करना नहीं था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि मुख्य उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना और उप-मिट्टी के पानी का संरक्षण करना था। यह तर्क दिया गया कि पी. एल. पी. ए. का वनों के मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय का एकमात्र निर्णय जो धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के प्रभाव से संबंधित है, बी. एस. संधू के मामले में है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे आदेशों से आच्छादित भूमि वन हो भी सकती है और नहीं भी। उनका निवेदन है कि तीसरे एम. सी. मेहताकासे में निर्णय बी. एस. संधू 3 के मामले में एक समन्वित पीठ के बाध्यकारी निर्णय की अनदेखी करता है। विद्वान वकील ने पिछली कार्यवाही में राज्य सरकार द्वारा शपथ पर लिए गए रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मामले में

पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और कुछ अन्य जिलों, व्यावहारिक रूप से 100% क्षेत्र को धारा 3,4 के तहत अधिसूचित किया गया था।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

और पी. एल. पी. ए. का 5, और इसलिए, उक्त जिलों को शामिल करने वाला पूरा क्षेत्र वन नहीं हो सकता है। यह बताया गया था कि लगभग 39.35%

हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को पी. एल. पी. ए. के तहत अधिसूचित किया गया है। उनका निवेदन है कि पी. एल. पी. ए. के तहत अधिसूचित सभी भूमि को 1980 के वन अधिनियम के तहत वन भूमि के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हमारा ध्यान उक्त अतिरिक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ 81 की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि पीएलपीए की धारा 3,4 और 5 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में लगभग 59 सार्वजनिक परियोजनाएं सामने आई हैं। इन परियोजनाओं/संरचनाओं में सी. आर. पी. एफ. समूह केंद्र, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, पुलिस लाइन्स, सरकारी आई. टी. आई. कॉलेज आदि शामिल हैं। उन्होंने 2019 के संशोधन अधिनियम पर जोर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि 2019 के संशोधन अधिनियम की वैधता को कोई चुनौती नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे लागू करने की अनुमति दी जा सकती है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि 08 दिसंबर 1996 और 25 फरवरी 1997 के पहले के हलफनामों में दिया गया एकमात्र तथ्यात्मक बयान यह है कि अधिसूचनाओं की मुद्रा के दौरान पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों को राज्य विनियमित वन क्षेत्रों के रूप में दिखाया जा रहा था। लेकिन बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया। शपथ पत्र अधिसूचित भूमि की स्थिति से संबंधित नहीं हैं।

हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदनकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ

21. 2022 के आई. ए. संख्या 33254 में आवेदक की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि

राज्य द्वारा किया गया दावा है कि राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों और विशेष रूप से फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों को पीएलपीए के तहत अधिसूचित किया गया है

भ्रामक। उस उद्देश्य के लिए, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त हलफनामे में प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा और गलत दावा किया गया है कि यदि पी. एल. पी. ए. की धारा 3 और 4 के तहत अधिसूचित भूमि को वन भूमि माना जाता है तो राज्य का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र वन होगा। उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 50 पर भरोसा करते हुए उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिले के 1,25,800 हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से,

धारा 4 और 5 के तहत विशेष आदेश केवल 6821 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करते हैं। इसी तरह, फरीदाबाद जिले के 74,100 हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5611 हेक्टेयर क्षेत्र को पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसा कि उसी हलफनामे के पैराग्राफ 49 में कहा गया है, 1927 के वन अधिनियम और अवर्गीकृत वनों के तहत वनों का कुल क्षेत्रफल कुल वन क्षेत्र का 3.31 प्रतिशत है।

राज्य का भौगोलिक क्षेत्र। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य [2022] 15 एस. सी. आर.

सरकार ने एक सुसंगत रुख अपनाया है कि पीएलपीए की धारा 4 और 5 के खंड (ए) के तहत जारी अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्र 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने आई. ए. दायर करने में विशेष रूप से यही रुख अपनाया था।

विजय बंसल और अन्य बनाम के मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष इसके द्वारा। हरियाणा राज्य और अन्य 7. उन्होंने आग्रह किया कि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 राज्य में वर्तमान में लागू सभी कानूनों को दरकिनार कर दे। उन्होंने कहा कि 1980 के अधिनियम की धारा 2 का एकमात्र प्रभाव यह है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने वाले आदेश को पारित करने पर राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण पर प्रतिबंध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक गाँव अनंगपुर में भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत 18 अगस्त 1992 के आदेश का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा तीसरी एम. सी. मेहताकासे में इसकी वैधता को बरकरार रखते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आदेश द्वारा कवर की गई भूमि 1980 के वन अधिनियम के तहत वन भूमि है, इस मुद्दे का निष्कर्ष निकाला गया है।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख का निवेदन है कि पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित भूमि केवल नहीं थी

सरकारी अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन हरियाणा राज्य के वन विभाग द्वारा हमेशा वन के रूप में माना जाता था।

23. उन्होंने प्रस्तुत किया कि हरियाणा राज्य ने सिविल में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री बनारसी दास का एक हलफनामा दायर किया है।

1996 की रिट याचिका सं. 171, जो उस मुख्य मामले के साथ सुना गया संबंधित मामला था जिसमें 1997 के टी. एन. गोडावरन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय दिया गया था। उक्त हलफनामे में राज्य सरकार द्वारा लिया गया रुख यह था कि पी. एल. पी. ए. के तहत जारी अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्र वन भूमि हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने द्वारा किए गए प्रयास की निंदा की है

हरियाणा सरकार एक झटका लेगी और उक्त हलफनामे में जो कहा गया है, उसके विपरीत रुख अपनाएगी।

24. आई. ए. सं. 14685/2021 में आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अन्य आवेदकों द्वारा की गई प्रस्तुतियों का समर्थन किया /

हस्तक्षेप करने वाले। उनका निवेदन है कि सरकारी अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दिखाई गई कोई भी भूमि 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकारी अभिलेखों की अवधारणा को एक संकीर्ण अर्थ यह मानते हुए नहीं दिया जा सकता है कि केवल राजस्व अभिलेख/भूमि अभिलेख सरकारी अभिलेख हैं। उन्होंने आग्रह किया कि यहां तक कि 7 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 8073 एरिंडर सिंह एंड ओ. आर. एस.

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस।

[अभय एस. ओकेए, जे.]

वन विभाग द्वारा रखे जाने वाले डी. एस. भी सरकारी हैं।डी. एस. विद्वान न्यायमित्र ने भी संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दीं।

प्रस्तुतियों का समावेश

वनों और वनों से संबंधित कानून पर्यावरण

25. वनों से संबंधित कानूनों की व्याख्या करते समय, न्यायालय करेंगे

निम्नलिखित विचारों द्वारा समर्थित हैः

खंड (ए) अनुच्छेद 48 ए के तहत जो अध्याय IV का एक हिस्सा है

आई.

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को समाहित करते हुए, यह है

राज्य का संरक्षण और सुधार करने का दायित्व

पर्यावरण और वनों की रक्षा करना;

संविधान के अनुच्छेद 51 ए के खंड (जी) के तहत, यह एक

ii.

प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा और संरक्षण करे प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, नदियाँ, झीलें और

वन्यजीव आदि। ;

संविधान का अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

iii.

व्यक्तियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए। वन, एक अर्थ में, फेफड़े हैं जो मनुष्यों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जंगल बहुत खेलते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए वनों की उपस्थिति आवश्यक है

प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अपने अधिकार का आनंद लें;

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का एक हिस्सा है

iv.

हमारा न्यायशास्त्र। उक्त सिद्धांत के तहत, राज्य एक है प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी, जैसे कि समुद्र तट, बहते जल, वन आदि। इन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ बड़े पैमाने पर जनता को मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी होने के नाते राज्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए कानूनी कर्तव्य के अधीन है।

संसाधन। सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत अल्पकालिक सार्वजनिक अधिकारों पर लंबे समय से स्थापित सार्वजनिक अधिकारों को लागू करने का एक साधन है।

और निजी लाभ;

एहतियाती सिद्धांत को एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया है

वी.

देश का कानून। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,48 ए और 51-ए (जी) को एक साथ पढ़ने से पता चलेगा कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने और सुधार करने का अधिकार है [2022] 15 एस. सी. आर.

और वनों की रक्षा करें। एहतियाती सिद्धांत

सरकार को पूर्वानुमान लगाने, रोकने और उपचार करने की आवश्यकता है

या पर्यावरण क्षरण के कारणों को समाप्त करें

उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है;

पर्यावरण से संबंधित कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू करते समय, सतत विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राजीव सूरी बनाम के मामले में। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य, इसकी एक पीठ

जिस अदालत में हममें से कोई एक पक्ष है (ए. एम. खानविलकर, जे.) ने सतत विकास की अवधारणा पर बहुत संक्षिप्त रूप से विचार किया है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 507 और 508

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 507. सतत विकास और एहतियाती सिद्धांत के सिद्धांत को उचित संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति "सतत विकास"

सोचता है कि विकास होना चाहिए प्राकृतिक संरक्षण के विचार के साथ टिकाऊ

वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण। यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि सतत विकास वास्तव में विकास का एक सिद्धांत है-यह नियंत्रित विकास को मानता है। इस सिद्धांत में अंतर्निहित प्राथमिक आवश्यकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विकास कार्य

टिकाऊ है; और यह आवश्यकता

स्थिरता की मांग है कि पहला प्रयास

कानून के पर्यावरणीय शासन को लागू करने वाली प्रत्येक एजेंसी

देश में राहत मिलनी चाहिए

उचित शमन द्वारा पर्यावरणीय चिंताएँ

उपाय। पर्यावरण और विकास में आने वाली पीढ़ियों की समान हिस्सेदारी है। वे एक विकसित समाज के उतने ही हकदार हैं जितना कि वे एक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित समाज के। के द्वारा

विकास के अधिकार पर घोषणा, 1986, संयुक्त राष्ट्र ने विकास के अधिकार को स्पष्ट मान्यता दी है। घोषणा का अनुच्छेद 1 इस बात को परिभाषित करता है सही रूप से:

ऑनलाइन एससी 7 डेर सिंह और ओआरएस। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

" 1. विकास का अधिकार एक अपरिहार्य मानव अधिकार है जिसके आधार पर प्रत्येक मानव व्यक्ति और सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भाग लेने, योगदान करने और आनंद लेने का अधिकार है, जिसमें सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं शामिल हो सकती हैं।

पूरी तरह से महसूस करें "।

508. इस प्रकार, विकास का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन के संरक्षण से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह.

बुनियादी ढांचे के विचार तक सीमित नहीं है

विकास, बल्कि, इसमें मानव विकास को सभी विकास के आधार के रूप में शामिल किया गया है। पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायशास्त्र को यह स्वीकार करना चाहिए कि अधिकारों के बीच बहुत अधिक अंतर-निर्भरता है

विकास और प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकार।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास में, " अधिकार को लागू करना" अध्याय में अर्जुन सेनगुप्ता

विकास के लिए इस प्रकार टिप्पणी करता हैः

" ..... दो अधिकार परस्पर निर्भर हैं यदि एक का आनंद दूसरे के आनंद के स्तर पर निर्भर करता है।

यहां तक कि 'कानून के पर्यावरणीय शासन' की भी भूमिका है। ग्रीन दून और अन्य के लिए नागरिकों के मामले में यह न्यायालय बनाम। भारत संघ और अन्य ने एक और काम किया है विकास परियोजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सुसंगत और समान मानकों की कमी का महत्वपूर्ण मुद्दा। इस न्यायालय ने कहा कि सतत विकास का सिद्धांत हो सकता है

के आधार पर अलग और मनमाना मेट्रिक्स बनाएँ

व्यक्तिगत परियोजनाओं की प्रकृति। इसलिए, यह न्यायालय 'कानून के पर्यावरण शासन' के मानक को लागू करने और अपनाने की आवश्यकता की वकालत की और स्वीकार किया। का अनुच्छेद 40

उक्त निर्णय इस प्रकार हैः

" 40. इस समस्या का एक ठोस उपाय शासन निर्णयों का परीक्षण करने के लिए 'कानून के पर्यावरण शासन' के मानक को अपनाना है जिसके तहत विकासात्मक निर्णय लिए जाते हैं।

परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। अपने 2015 के अंक संक्षिप्त शीर्षक में " कानून का पर्यावरणीय नियमः टिकाऊ के लिए महत्वपूर्ण

न एससी 1243 [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विकास ", संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण

कार्यक्रम ने इस तरह को अपनाने की सिफारिश की है

निम्नलिखित शब्दों में दृष्टिकोणः

" कानून का पर्यावरणीय नियम महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जरूरतों को कानून के शासन के आवश्यक तत्वों के साथ एकीकृत करता है, और पर्यावरण शासन में सुधार के लिए आधार प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकारों और दायित्वों के साथ जोड़कर पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है। यह निहित रूप से सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और व्यवहार के नैतिक मानदंडों को दर्शाता है, और यह पर्यावरणीय अधिकारों और दायित्वों के लिए एक नींव प्रदान करता है।

कानून के पर्यावरणीय शासन और कानूनी अधिकारों और दायित्वों के प्रवर्तन के बिना, पर्यावरण शासन मनमाना हो सकता है, यानी, विवेकाधीन, व्यक्तिपरक, और अप्रत्याशित "।

1927 के फॉरेस्ट अधिनियम के तहत फॉरेस्ट

26. 1927 के वन अधिनियम के तहत वन की अवधारणा प्रतीत होती है

1980 के वन अधिनियम के तहत वन की अवधारणा से अलग होना चाहिए। दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलेगा कि उनके

ऑपरेशन के क्षेत्र समान नहीं हैं, हालांकि कुछ ओवरलैप हो सकते हैं।

27. 1927 का वन अधिनियम आरक्षित वनों (अध्याय II), ग्रामीण वनों (अध्याय III) और संरक्षित वनों (अध्याय IV) से संबंधित है। अध्याय 5 में ऐसे प्रावधान हैं जो उन वनों पर लागू होते हैं जो राज्य सरकार में निहित नहीं हैं। वनों की पहली तीन श्रेणियां राज्य में निहित भूमि पर हैं। 1927 के वन अधिनियम के तहत, प्रत्येक वन वास्तव में आरक्षित वन या संरक्षित वन नहीं बन जाता है। अध्याय II में निहित किसी भी भूमि को घोषित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है

राज्य सरकार एक आरक्षित वन के रूप में। अध्याय II में निर्धारित एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कि राज्य सरकार में निहित एक भूमि

इसे आरक्षित वन घोषित किया जा सकता है। एक बार आधिकारिक राजपत्र में धारा 20 के तहत किसी विशेष भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के बाद, 1927 के वन अधिनियम की धारा 26 में निहित निषेध लागू होते हैं। धारा 26 इस प्रकार हैः

" 26. ऐसे वनों में अधिनियम निषिद्ध हैं। - (1) कोई भी व्यक्ति जो

(क) धारा 5 द्वारा किसी भी नए समाशोधन को निषिद्ध करता है, या

(ख) किसी आरक्षित वन में आग लगा देता है, या, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए, किसी भी इंद्र सिंह को आग लगा देता है।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

आग लगाएँ, या किसी भी आग को इस तरह से जला दें कि ऐसे जंगल को खतरा हो; या कौन, एक आरक्षित वन में

(ग) वन अधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाने वाले मौसमों को छोड़कर कोई भी आग जलाता है, रखता है या ले जाता है।

(ई) किसी भी पेड़ को काटने या किसी भी लकड़ी को काटने या खींचने में लापरवाही से कोई नुकसान पहुंचाता है; (च) किसी भी पेड़ या पेड़ की छाल या पत्तियों को काटना या काटना या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाना;

(छ) पत्थर, चूने या लकड़ी का कोयला निकालना या एकत्र करना, किसी भी निर्माण प्रक्रिया के अधीन है, या किसी भी वन-उत्पाद को हटा देता है;

(ज) खेती या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि को साफ या विभाजित करता है; (i) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन में शिकार, अंकुर, मछलियाँ, पानी या सेट को जहर दिया जाता है।

(जे) किसी भी क्षेत्र में जिसमें हाथी संरक्षण अधिनियम, 1879 (1879 का 6) लागू नहीं है, इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए हाथियों को मार देता है या पकड़ता है, वन को हुए नुकसान के लिए ऐसे मुआवजे के अलावा, जो दोषी ठहराने वाला न्यायालय करे, छह महीने तक की अवधि के कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

सीधे भुगतान करने के लिए। (2) इस धारा की कोई भी बात निषिद्ध नहीं मानी जाएगी।

(क) वन अधिकारी की लिखित अनुमति से या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के तहत किया गया कोई कार्य; या

(ख) धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के तहत जारी किसी भी अधिकार का प्रयोग, या धारा 15 में अनुदान या अनुबंध द्वारा बनाया गया है। धारा 23 के तहत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया गया लेखन।

(3) जब भी आग जानबूझकर या घोर लापरवाही से लगी हो।

आरक्षित वन, राज्य सरकार (इसके बावजूद कि इस धारा के तहत कोई जुर्माना लगाया गया है) निर्देश देते हैं कि

ऐसे वन या उसके सभी अधिकारों के प्रयोग का कोई भाग

चरागाह या वन उपज को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जैसे यह उचित समझता है।

(जोर दिया गया)

धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (क) के संदर्भ में,

1927 के वन अधिनियम की धारा 5 भी प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

" 5. वनों के संचय पर रोक-अधिकार। - ए के मुद्दे के बाद

धारा 4 के तहत अधिसूचना, कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जाएगा

उत्तराधिकार द्वारा या ऐसी अधिसूचना में शामिल भूमि को छोड़कर

द्वारा या उसके द्वारा किए गए या किए गए लिखित अनुदान या अनुबंध के तहत

सरकार की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसमें ऐसा अधिकार हो।

अधिसूचना जारी होने पर निहित किया गया था; और कोई नया नहीं

खेती के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंजूरी

ऐसी भूमि में ऐसे नियमों के अनुसार किए गए इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

28. धारा के तहत राज्य सरकार में एक शक्ति निहित है

28 किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भी भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार सौंपना जिसे आरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है। एक बार जब इस शक्ति का उपयोग आरक्षित वन के संबंध में किया जाता है, तो यह एक ग्रामीण वन बन जाता है।

29. 1927 के वन अधिनियम के अध्याय IV के तहत, एक शक्ति है

राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि या उसमें निहित अपशिष्ट भूमि, जो आरक्षित वन में शामिल नहीं है, को संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार है। किसी भूमि को संरक्षित वन घोषित किए जाने के परिणाम उतने कठोर नहीं हैं जितना कि किसी भूमि को आरक्षित वन घोषित किए जाने के परिणाम। धारा 30 और धारा 33 उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

" 30. वृक्षों आदि के आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी करने की शक्ति -

राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

(क) संरक्षित वन में किसी भी पेड़ या पेड़ों के वर्ग को घोषित करें - अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से आरक्षित किया जाए; इंद्र सिंह और ओआरएस।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

(ख) घोषणा करें कि ऐसे वन के किसी भी हिस्से में विनिर्दिष्ट

वर्ष, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझती है, और जिनके अधिकार ऐसे हिस्से पर निजी व्यक्तियों को, यदि कोई हो, निलंबित कर दिया जाएगा।

ऐसी शर्तों के दौरान, बशर्ते कि ऐसे वन का शेष भाग

पर्याप्त होना, और एक उचित रूप से सुविधाजनक इलाके में, के लिए

इस तरह से बंद हिस्से में निलंबित अधिकार का उचित प्रयोग; या

(ग) उपरोक्त तिथि से उत्खनन पर प्रतिबंध लगाएँ।

पत्थर का, या चूने या लकड़ी का कोयला जलाना, या

किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए संग्रह या अधीनता,

या ऐसे किसी वन में किसी भी वन-उपज को हटाना, और

खेती के लिए, निर्माण के लिए तोड़ना या साफ करना, पशुओं को चराने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, किसी भी भूमि में

ऐसा कोई भी जंगल।

XXX

XXX

XXX

3. अधिसूचना के उल्लंघन में कार्यों के लिए दंड

धारा 30 या धारा 32 के तहत नियम। - (1) कोई भी व्यक्ति

हो निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी करता है, अर्थात्:

(क) नीचे रखे किसी भी पेड़ को काटना, कमरबंद करना, काटना, नल लगाना या काटना। धारा 30, या छाल या पत्तियों को काट दें, या अन्यथा

नुकसान, कोई भी ऐसा पेड़;

(बी) धारा 30 के तहत किसी भी निषेध के विपरीत, किसी भी खदान

पत्थर, या किसी भी चूने या लकड़ी का कोयला या संग्रह, किसी के लिए विषय

विनिर्माण प्रक्रिया, या किसी भी वन-उपज को हटा देता है;

(ग) धारा 30 के तहत किसी भी निषेध के विपरीत, टूट जाता है या खेती या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि को मंजूरी देता है।

संरक्षित वन;

इसे किसी भी पेड़ पर फैलने से रोकने के लिए उचित सावधानी बरतें। धारा 30 के तहत आरक्षित, चाहे वह गिर गया हो या गिर गया हो, या

कहने के लिए ऐसे जंगल का बंद हिस्सा;

(ई) किसी भी क्षेत्र के आसपास उसके द्वारा लगाई गई आग को जलाने के लिए छोड़ देता है।

ऐसा पेड़ या बंद हिस्सा;

(च) किसी भी पेड़ को काटना या किसी भी लकड़ी को खींचना ताकि किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचे। उपरोक्त रूप में आरक्षित; [2022] 15 एस. सी. आर.

(छ) मवेशियों को ऐसे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुँचाने की अनुमति देता है; (ज) धारा 32 के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है,

कारावास से दंडनीय होगा जो एक अवधि के लिए हो सकता है

सौ रुपये, या दोनों के साथ। (2) जब भी आग जानबूझकर या घोर लापरवाही से लगी हो।

एक संरक्षित वन होने के बावजूद, राज्य सरकार

कि इस धारा के तहत कोई जुर्माना लगाया गया है,

कि ऐसे वन या उसके किसी भाग में किसी का अभ्यास

चरागाह या वन-उपज के अधिकार के लिए निलंबित किया जाएगा ऐसी अवधि जो वह उचित समझे।

(जोर दिया गया)

30. 1927 के वन अधिनियम का अध्याय 5 वनों या कचरे पर लागू होता है।

सरकार की संपत्ति नहीं होना। इस प्रकार, अध्याय V लागू होता है।

निजी संपत्तियों पर निर्भर करता है क्योंकि अध्याय का शीर्षक है "वनों और भूमि जो सरकार की संपत्ति नहीं हैं। अनुभाग

37 प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:

" 35. विशेष उद्देश्यों के लिए वनों का संरक्षण। - (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनियमित कर सकती है।

या किसी भी जंगल या बंजर भूमि में प्रतिबंधित करें।

(क) खेती के लिए भूमि को तोड़ना या साफ करना;

((ख) पशुओं का चराना; या

(ग) वनस्पति को जलाना या साफ करना;

जब ऐसा विनियमन या निषेध किसी के लिए आवश्यक प्रतीत होता है निम्नलिखित उद्देश्य:

(i) तूफानों, हवाओं, लुढ़कने वाले पत्थरों, बाढ़ से सुरक्षा के लिए और हिमस्खलन;

((ii) ढलानों और ढलानों पर मिट्टी के संरक्षण के लिए

पहाड़ी क्षेत्रों की घाटियाँ, भूमि खिसकने की रोकथाम या

दर्रों और धाराओं का निर्माण, या भूमि की सुरक्षा

कटाव, या उस पर रेत, पत्थर या बजरी का जमा होना;

((iii) झरनों, नदियों और नदियों में जल आपूर्ति के रखरखाव के लिए।

टैंक; एरिंडर सिंह और ओआरएस। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

((iv) सड़कों, पुलों, रेलवे और संचार की अन्य लाइनों की सुरक्षा के लिए; ((v) सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए।

(2) राज्य सरकार, ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए, अपने स्वयं के खर्च पर, किसी वन या बंजर भूमि में या उस पर निर्माण कर सकती है, जैसे -

जैसा उचित लगे वैसा काम करें। (3) उप-धारा (1) के तहत कोई अधिसूचना नहीं दी जाएगी और न ही उप-धारा (2) के तहत कोई काम शुरू किया जाएगा।

ऐसे वन या भूमि के मालिक को ऐसी सूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली उचित अवधि के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस देना, कि ऐसी अधिसूचना क्यों नहीं की जानी चाहिए या कार्य का निर्माण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और जब तक कि उसकी आपत्तियां, यदि कोई हों, और उसके समर्थन में वह कोई सबूत पेश न करे, तब तक उस ओर से विधिवत नियुक्त अधिकारी द्वारा सुना गया है और राज्य सरकार द्वारा उस पर विचार किया गया है।

36. वनों का प्रबंधन ग्रहण करने की शक्ति।

(1) धारा 35 के तहत किसी विनियमन या निषेध की उपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की स्थिति में, या यदि उस धारा के तहत बनाए जाने वाले किसी काम के उद्देश्यों के लिए ऐसा आवश्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसे वन या भूमि के मालिक को लिखित नोटिस के बाद और उनकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, तो उसे वन अधिकारी के नियंत्रण में रख सकती है, और घोषणा कर सकती है कि आरक्षित वनों से संबंधित इस अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान ऐसे वन या भूमि पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के प्रबंधन से होने वाले शुद्ध लाभ, यदि कोई हो, का भुगतान उक्त मालिक को किया जाएगा।

37. कुछ मामलों में वनों का अधिग्रहण।

(1) इस अध्याय के अधीन किसी भी मामले में जिसमें राज्य सरकार यह मानता है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियंत्रण में रखने के बदले में, जनता के लिए इसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा प्रदत्त तरीके से इसका अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकती है।

(2) धारा 35 के तहत किसी भी अधिसूचना में शामिल किसी भी वन या भूमि का मालिक, किसी भी समय, उसकी तारीख से कम से कम तीन या बारह साल से अधिक नहीं, यह मांग कर सकता है कि ऐसा वन या [2022] 15 एस. सी. आर.

भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, और राज्य

सरकार को तदनुसार ऐसे वन या भूमि की आवश्यकता होगी।

31. एक बार अधिसूचना के तहत शक्ति का प्रयोग करके जारी किया जाता है

धारा 35 की उप-धारा (1) में खेती के लिए वन भूमि को तोड़ने या साफ करने, मवेशियों को चराने या वनस्पति को साफ करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 36 के तहत शक्ति का प्रयोग करके ऐसे निजी वनों का प्रबंधन ग्रहण करने की शक्ति है। एक शक्ति भी है

ऐसी निजी भूमि का अधिग्रहण करना। वास्तव में, धारा 37 की उप-धारा (2) के तहत, धारा 35 के तहत जारी किसी भी अधिसूचना में शामिल वन भूमि के मालिक को राज्य सरकार से ऐसी वन भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता का विकल्प दिया जाता है। लेकिन मालिक को किसी भी समय अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीन महीने या उक्त तारीख से बारह साल से अधिक समय तक मांग करनी चाहिए।

32. हालांकि, 1927 का वन अधिनियम 'वन' शब्दों को परिभाषित नहीं करता है।

' आरक्षित वन 'और' संरक्षित वन ', एक वन भूमि तब तक आरक्षित वन नहीं बन जाती जब तक कि 1927 के वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जाती। इसी तरह, वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करके ही वन को संरक्षित वन घोषित किया जा सकता है।

1980 के फॉरेस्ट के तहत फॉरेस्ट की अवधारणा

एक्ट 33. अब,
हम 1980 के वन अधिनियम पर आते हैं। यह एक पूरक है

वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित अधिनियम। वस्तुओं और कारणों के अपने बयान में, यह ध्यान दिया जाता है कि वनों की कटाई पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा कर रहा है और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन रहा है। यह भी नोट करता है कि एक व्यापक चिंता के कारण हुआ है

हमारे देश में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है।

1980 के वन अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया हैः
" वनों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम और

उससे संबंधित या सहायक या आनुषंगिक मामले।

(जोर
दिया गया)

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 1927 का वन अधिनियम एक पूर्ववर्ती है।

संविधान कानून। उक्त कानून केवल तीन श्रेणियों के वनों तक ही सीमित है। 1980 के वन अधिनियम ने 1927 के वन अधिनियम को निरस्त नहीं किया है। एक अर्थ में, 1980 का वन अधिनियम 1927 के वन अधिनियम के प्रावधानों का पूरक है। पिछले चार दशकों के दौरान, पर्यावरण पर वनों की कटाई के प्रतिकूल प्रभाव का एहसास हुआ है।

नरिंदर सिंह और हमारा। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस।

[अभय एस. ओकेए, जे.]

हरे आवरण की कमी इसके परिणामों में से एक थी वनों की कटाई। वनों की कटाई से पर्यावरण का क्षरण हुआ। चूंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए इसका काफी विनाश होता है।

उत्सर्जन को वायुमंडल से बाहर रखने की प्रकृति की क्षमता को प्रभावित करता है। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से एक है। पर्यावरण से संबंधित कानून धीरे-धीरे पिछले तीन दशकों के दौरान संवैधानिक प्रावधानों और पर्यावरण क्षरण के बारे में बढ़ती जागरूकता और बढ़ती चिंता के आलोक में विकसित हुआ। शायद, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए, विधानमंडल ने वनों की रक्षा के लिए एक और कानून लाना उचित समझा।

34. 1980 का वन अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 से लागू हुआ। इसमें केवल 5 खंड हैं। सबसे महत्वपूर्ण धारा 2 है जो इस प्रकार है:

" 2. वनों के संरक्षण या उपयोग पर प्रतिबंध

गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि। किसी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा, निर्देश देने वाला कोई आदेश नहीं करेगा।

((i) कि कोई भी आरक्षित वन (उस राज्य में उस समय लागू किसी कानून में "आरक्षित वन" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर) या उसका कोई भी हिस्सा समाप्त हो जाएगा।

आरक्षित रहें;

((ii) कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी "गैर-वन" उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। [
((ग) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टे के रूप में या अन्यथा किसी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य को सौंपा जा सकता है।

संगठन जिसका स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण नहीं है

सरकार; (
(iv) कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से हटाया जा सकता है जो उस भूमि या हिस्से में प्राकृतिक रूप से उगाए गए हैं।

पुनः वनीकरण के लिए इसका उपयोग करने के उद्देश्य से।]

[स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए गैर-वन उद्देश्य का अर्थ है किसी वन भूमि या हिस्से को तोड़ना या साफ करना।

(क) चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल की खेती। पौधे, बागवानी फसलें या औषधीय पौधे;

(ख) पुनः वनीकरण के अलावा कोई अन्य उद्देश्य,

लेकिन इसमें संरक्षण से संबंधित या सहायक कोई कार्य शामिल नहीं है,

वनों और वन्यजीवों का विकास और प्रबंधन, अर्थात्, चेक-पोस्ट, फायर लाइन, वायरलेस की स्थापना

बाड़, पुलों और पुलियों का संचार और निर्माण,

बांधों के पानी के गड्ढे, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइन या अन्य

जैसे उद्देश्य।]

[जोर दिया गया]

35. धारा 2 किसी विशेष राज्य पर लागू सभी कानूनों को हटा देती है।

जिसमें न केवल उस विशेष राज्य के कानून शामिल होंगे, बल्कि उस विशेष राज्य के लिए लागू प्रासंगिक केंद्रीय कानून भी शामिल होंगे। धारा 2 का खंड (i) किसी भी कानून के अर्थ में आरक्षित वन पर लागू होता है।

उस समय उस राज्य में लागू है। धारा 2 के खंड (ii), (iii) और (iv) "किसी भी वन भूमि" पर लागू होते हैं। जैसा कि खंड (i) विशेष रूप से किसी लागू कानून के अर्थ के भीतर एक आरक्षित वन को संदर्भित करता है, यह स्पष्ट है कि खंड (ii), (iii) और (iv) किसी अन्य वन पर लागू होते हैं, चाहे वह मान्यता प्राप्त हो या न हो।

उस राज्य में लागू किसी भी कानून के तहत घोषित किया गया। अतः, खंड (धारा 2), (iii) और (iv) किसी भी वन भूमि पर लागू होती है जो आवश्यक रूप से आरक्षित वन या संरक्षित वन या निजी वन नहीं हो सकती है।

1927 के वन अधिनियम के तहत अध्याय V द्वारा शासित। धारा 2 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध (इसके खंड (i) को छोड़कर) प्रत्येक वन भूमि पर लागू होते हैं, जिसके संबंध में 1927 के वन अधिनियम या उस राज्य में लागू वनों से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत कोई घोषणा नहीं की गई है।

36. इससे पहले कि हम 1980 के तहत वन की अवधारणा से निपटें

वन अधिनियम, हम यहाँ ध्यान दें कि यह अधिनियम किसी भी गैर-वन उद्देश्यों के लिए किसी भी वन भूमि या उसके एक हिस्से के उपयोग पर पूर्ण निषेध का प्रावधान नहीं करता है। राज्य सरकार या कोई अन्य

प्राधिकरण हमेशा किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति केवल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही दे सकता है।

सरकार। एक अर्थ में, यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ गैर-वन गतिविधियों के लिए वन भूमि के अनुमत उपयोग का प्रावधान करता है। इसलिए, एक निजी भूमि का मालिक जो धारा 2 के अर्थ के भीतर एक वन है, इसके उपयोग को गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कर सकता है।

राज्य सरकार या संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही। हालांकि, राज्य सरकार या नरींदर सिंह और ओआरएस।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना गैर-वन गतिविधियों के लिए इस तरह के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह प्रावधान पहले से ही समाप्त हो चुके हरित क्षेत्र की और कमी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केवल ऐसे ही गैर-वन केंद्र सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी जाती है जो पारिस्थितिक असंतुलन का कारण नहीं बनती हैं जिससे पर्यावरण का क्षरण होता है। 1980 के वन अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, धारा 2 के अर्थ के भीतर एक निजी भूमि जो एक वन है, के स्वामित्व धारक को भूमि में उसके अधिकार, स्वामित्व या हित से वंचित नहीं किया जाता है। लेकिन उनकी वन भूमि का उपयोग किसी भी गैर-वन गतिविधि के लिए करने पर प्रतिबंध है।

37. केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि के गैर-वन उपयोग की अनुमति देने पर प्रतिबंध का उद्देश्य यह नहीं है कि

गैर-वन गतिविधियों के संचालन को पूरी तरह से रोकें। यह प्रावधान केंद्र सरकार को वन भूमि के गैर-वन उपयोग को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। गैर-वन उपयोग को मंजूरी देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने का अधिकार है -

राजीव सूरी 3 के मामले में अपने निर्णय सहित इस न्यायालय द्वारा विकसित सतत विकास। धारा 2 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि का विकास और उपयोग

सतत विकास के सिद्धांत द्वारा शासित। एक अर्थ में, धारा 2 वन भूमि पर विकास कार्यों को केवल उस हद तक बढ़ावा देती है जब तक इसे पर्यावरणीय चिंताओं को कम करते हुए बनाए रखा जा सकता है। धारा 2 के तहत केंद्र सरकार को दी गई शक्ति का उपयोग निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू करने के लिए वैज्ञानिक और सुसंगत मापदंडों को अपनाकर किया जाना चाहिएः

38. अब, धारा 2 द्वारा कवर किए गए "वन" या "किसी भी वन भूमि" के अर्थ पर आते हुए, इस न्यायालय ने 1997 में गोडावर्मन के मामले 1 में कहा है कानूनी स्थिति की व्याख्या की। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 3 और 4 को पढ़ा गया।

इस प्रकारः

" 3. सुनवाई में यह सामने आया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (संक्षेप में "अधिनियम") के वास्तविक दायरे और उसमें उपयोग किए गए शब्द "वन" के अर्थ के बारे में कुछ हलकों में गलत धारणा है। वन क्षेत्र में कुछ गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता के बारे में भी एक गलत धारणा है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 द्वारा आवश्यक है, जो अक्सर वाणिज्यिक प्रकृति की होती हैं। यह आवश्यक है। उस स्थिति को स्पष्ट करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को आगे वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिकीय नुकसान होता है।

शब्दकोश के अर्थ में समझा जाता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में भी स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज किया गया। इसे इस तरह से समझना चाहिए।

अधिनियम की धारा 2 का उद्देश्य। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वनों के संरक्षण के लिए अधिनियमित प्रावधान और उससे जुड़े मामले स्पष्ट रूप से उन सभी वनों पर लागू होने चाहिए जिन्हें इस प्रकार समझा जाता है, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों।

उसका स्वामित्व या वर्गीकरण। अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों में इस पहलू को बहुत स्पष्ट किया गया है। गुजरात राज्य [(1987) 1 एस. सी. सी. 212], ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1989 पूरक (1) एस. सी. सी.

504] और हाल ही में 29-11-1996 के आदेश में (सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी v. मसूरी देहरादून विकास

प्राधिकरण [1995 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 749 ने 29-11-1996 पर निर्णय लिया])। बिहार राज्य बनाम में इस न्यायालय का पूर्व निर्णय। इसलिए बंशी राम मोदी [(1985) 3 एस. सी. सी. 643] को इन बाद के निर्णयों के आलोक में समझा जाना चाहिए। हम इसे आवश्यक मानते हैं

किसी भी राज्य सरकार या प्राधिकरण की धारणा में संदेह, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए इस न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न इस स्थिर स्थिति को दोहराते हैं। यह राजस्थान राज्य की ओर से लिए गए रुख के कारण भी आवश्यक हो गया है।

ऐसे क्षेत्र में खनन के लिए दी गई अनुमतियों से संबंधित अंतिम चरण जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है। यह है।

यह मान लेना उचित होगा कि कोई भी राज्य सरकार जो अब तक कानून में सही स्थिति की सराहना करने में विफल रही है, तुरंत अपने रुख को सही करेगी और बिना किसी और देरी के आवश्यक उपचारात्मक उपाय करेगी।

[जोर जोड़ा गया] नरिंदर सिंह और हमारा। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय के अनुसार, धारा 2 वनों की तीन श्रेणियों पर लागू होती हैः

वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन जैसे कि आरक्षित या संरक्षित

आई.

वन जिन पर धारा 2 का खंड (i) लागू होता है; शब्दकोश के अनुसार समझे जाने वाले वन

ii.

भावना और

सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र।

iii. जहाँ तक वनों की पहली श्रेणी का संबंध है, यह नहीं है।

कठिनाई क्योंकि धारा 2 के खंड (i) द्वारा कवर की गई उक्त श्रेणी के तहत वन वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन हैं।

39. यह दूसरी श्रेणी है जो कुछ कठिनाई पैदा करती है। जिस तरह से

1980 के वन अधिनियम की धारा 2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन भूमि पर केवल सतत वृद्धि/विकास हो। 1980 के वन अधिनियम द्वारा परिकल्पित "वन" या "वन भूमि" को व्यापक अर्थ देने की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझा और उचित ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, 1980 के वन अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन को रोकना है। इस प्रावधान का उद्देश्य अंतर-निर्भरता की रक्षा करना है

किसी व्यक्ति के विकास के अधिकार और बड़े पैमाने पर जनता के प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार के बीच। विधानमंडल ने धारा 2 के खंड (i) में आरक्षित वनों का उल्लेख करने के बाद धारा 2 के खंड (ii) से खंड (iv) में "कोई भी वन" शब्दों का उपयोग किया है। 1927 के वन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले या न आने वाले सभी वनों को 1980 के वन अधिनियम के दायरे में लाने का इरादा है। एक शब्दकोश में हमेशा शब्दों का अर्थ होता है क्योंकि वे पीढ़ियों से लोगों द्वारा समझे जाते हैं। इसमें एक ऐसे शब्द का अर्थ है जो पहले से ही वैध है। कोशकार

शब्दकोश में एक शब्द शामिल करें जब इसका उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है।

रास्ता। इसलिए, जैसा कि वन को इसके शब्दकोश अर्थ द्वारा समझा जाता है, धारा 2 द्वारा कवर किया जाता है।

40. इसलिए, सवाल यह है कि 'वन' शब्द का शब्दकोश अर्थ क्या है। अधिकांश प्रसिद्ध शब्दकोश कमोबेश हैं।

जब 'वन' शब्द के अर्थ की बात आती है तो यह सुसंगत होता है। लक्ष्मण इच्छाराम बनाम के मामले में पूर्ववर्ती नागपुर उच्च न्यायालय। प्रभागीय वन अधिकारी, रायगढ़ ने ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में 'वन' शब्द के शब्दकोश अर्थ का उल्लेख करके 'वन' को परिभाषित करने का प्रयास किया। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 13 इस प्रकार है:

10 आकाशवाणी 1953 नागपुर पृष्ठ 51 [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 13. वन अधिनियम में कहीं भी 'वन' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी परिभाषा के अभाव में 'वन' शब्द को उसके सामान्य शब्दकोश अर्थ में लिया जाना चाहिए। छोटा ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश, Vol.I, इसका निम्नलिखित अर्थ देता हैः

' 1. पेड़ों और उपज से ढकी भूमि का एक व्यापक क्षेत्र,

कभी-कभी चरागाह के साथ मिश्रित।

2. कानून. एक वुडलैंड जिला, जो आमतौर पर राजा से संबंधित होता है,

जंगली जानवरों और खेल आदि के शिकार के अलावा। , ...

3. एक जंगली बिना खेती वाला कचरा "।

कैम्ब्रिज शब्दकोश वन को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

" पेड़ों और पौधों से ढका भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जो आमतौर पर लकड़ी से बड़ा होता है, या पेड़ और पौधे स्वयं।

मेरियम-वेबस्टर शब्दकोश वन को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

: पेड़ों की घनी वृद्धि और बड़े पेड़ों को ढकने वाली झाड़ियाँ

“ 1

ट्रैक्ट

2

: इंग्लैंड में जंगली भूमि का एक आकर्षण जो पहले उनके स्वामित्व में था

संप्रभु और खेल के लिए उपयोग किया जाता है

3

: विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में जंगल जैसा कुछ या

रसीलापन "।

इसलिए, जब हम वन या वन के अर्थ पर विचार करते हैं

धारा 2 के खंड (ii) से (iv) के अर्थ के भीतर, यह भूमि का एक बड़ा या व्यापक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें पेड़ों, झाड़ियों, मैंग्रोव आदि की घनी वृद्धि हो। भूमि का एक छोटा सा अलग-थलग भूखंड धारा 2 के खंड

(ii) से (iv) के दायरे में केवल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उस पर कुछ पेड़ या झाड़ियाँ हैं, जबकि भूमि का व्यापक क्षेत्र घने पेड़ों और झाड़ों या पौधों से ढका हुआ है जो प्रचुरता या हरियाली में जंगल जैसा दिखता है।

41. यदि सरकारी अभिलेखों में किसी भूमि को वन के रूप में दिखाया गया है, तो वह धारा 2 द्वारा शासित होगी। सरकारी अभिलेख एक अभिलेख होता है जिसे

इसके विभिन्न विभाग। एक सरकारी रिकॉर्ड हमेशा एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बनाया जाता है। केवल उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई प्रविष्टियाँ ही किसी भी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हो सकती हैं। सरकारी अभिलेख

इसमें भूमि या राजस्व अभिलेख शामिल होंगे, जो वैधानिक दस्तावेज होंगे। इसी कारण से इसमें वन विभाग का रिकॉर्ड भी शामिल होगा। आखिरकार, वन विभाग वनों का संरक्षक है।

यह नरेंद्र सिंह और हमारा है। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

राज्य का विभाग जो संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए वनों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, यह विभाग है जो वन भूमि की पहचान करता है और एक रिकॉर्ड रखता है। इसलिए, वन भूमि विभाग द्वारा वन भूमि की विधिवत पहचान करने के बाद बनाए रखा गया रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से एक सरकारी रिकॉर्ड होगा। 42. क्या 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) से (iv) के अर्थ के भीतर कोई विशेष भूमि 'वन भूमि' है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे उपरोक्त मापदंडों के आलोक में प्रत्येक मामले के तथ्यों में तय किया जाना आवश्यक है।

43. धारा 2 के खंड (i) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी आरक्षित या घोषित वन को उसके दर्जे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति। खंड (i) का प्रभाव यह है कि राज्य सरकार 1927 के वन अधिनियम की धारा 27 के तहत यह घोषणा करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है कि कोई विशेष भूमि तब तक आरक्षित वन नहीं रहेगी जब तक कि केंद्र से पूर्व अनुमोदन न हो। सरकार। पूर्व अनुमोदन के अनुदान के लिए परीक्षण जो हमने ऊपर निर्धारित किया है, इस तरह के पूर्व अनुमोदन पर भी लागू होगा। इस पृष्ठभूमि में, हम उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिस पर हमें मामलों के इस समूह में निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

अधिसूचनाओं/आदेशों का प्रभाव

44. पीएलपीए को 15 नवंबर 1900 को पंजाब के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। पीएलपीए को उसी दिन से लागू किया गया था। 15 नवंबर को राजपत्र की एक फोटोकॉपी के साथ पंजाब के उपराज्यपाल की परिषद की कार्यवाही की एक फोटोकॉपी 1900 रिकॉर्ड पर रखा गया है। पी. एल. पी. ए. विधेयक को पेश करते समय माननीय श्री एच. सी. फैनशॉ के पते पर रिलायंस को रखा गया था। उनका संबोधन विधायिका की मंशा को दर्शाता है। कार्यवाहियों में लिखा है कि:

" माननीय श्री फैनशॉ ने पंजाब के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए अनुमति मांगी, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उससे सटे स्थित हैं या प्रभावित हैं या धाराओं और धाराओं की क्रिया से प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें आमतौर पर चोस कहा जाता है, या उस सीमा के भीतर जंगलों के विनाश से।

श्री फैनशॉ ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 1852 से पहले, शिवालिकों की बंजर भूमि पेड़ों और झाड़ियों और [2022] 15 एस. सी. आर. द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थी।

घास। उन्होंने आगे कहा कि पहाड़ियों पर घास और पेड़ काफी हद तक नष्ट हो गए हैं। इसलिए, उन्होंने कहा कि संबंधित बुराइयों को रोकने के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है। पी. एल. पी. ए. की प्रस्तावना में, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, यह इस प्रकार कहा गया हैः

" बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम पंजाब के क्षेत्रों के कुछ हिस्से इसके भीतर स्थित हैं।

या शिवालिक पर्वत श्रृंखला के निकट या प्रभावित या

भीतर वनों के विनाश से प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी उस सीमा, या धाराओं और धाराओं की क्रिया से, जैसे कि हैं

आमतौर पर इसे चोस कहा जाता है जो इसके माध्यम से या उससे बहता है।

[जोर दिया गया]

45. प्रस्तावना विशेष रूप से अवमूल्यन को संदर्भित करती है

जंगल। "अवमूल्यन" शब्द का शब्दकोश अर्थ "वनों की कटाई" है। इस प्रकार, पी. एल. पी. ए. का उद्देश्य वनों की कटाई से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की रक्षा करना भी है। यह तर्क दिया जाता है कि पीएलपीए

अनिवार्य रूप से उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया और इसका वनों से कोई लेना-देना नहीं है। वनों की कटाई मिट्टी के कटाव के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त कारणों में से एक है। विश्व वन्यजीव कोष की वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। लेख में बताया गया है वनों की कटाई के साथ और इसे मिट्टी के कटाव के कारण के रूप में पहचानता है। उक्त लेख का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" वनों की कटाई

पादप आवरण के बिना, कटाव हो सकता है और भूमि को बहा सकता है।

नदियों में। कृषि संयंत्र जो अक्सर प्रतिस्थापित करते हैं पेड़ मिट्टी और इनमें से कई पौधों को नहीं पकड़ सकते हैं,

जैसे कॉफी, कपास, ताड़ का तेल, सोयाबीन और गेहूं

वास्तव में मिट्टी के कटाव को खराब करता है। और जैसे-जैसे भूमि अपनी उपजाऊ मिट्टी खो देती है,

कृषि उपज आगे बढ़ती है, अधिक वनों को साफ करती है और जारी रखती है

मिट्टी के नुकसान का चक्र "।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, पी. एल. पी. ए. के उद्देश्यों में से एक निस्संदेह प्रतीत होता है

वनों का संरक्षण और संरक्षण एक ऐसा उपाय है जिसके लिए

मिट्टी के क्षरण को रोकना। उल्लेखनीय है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 2 के खंड (सी) में कहा गया है कि 'वृक्ष', 'लकड़ी', 'वन-उपज' और 'मवेशी' नरेंदर सिंह और ओ. आर. एस.।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

इसका वही अर्थ होगा जो 1927 की धारा 2 में दिया गया है। वन अधिनियम।

46. पी. एल. पी. ए. में सामग्री अनुभाग 3 से 7 तक हैं। सबसे पहले, हम धारा 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैः

" 3. क्षेत्रों की अधिसूचना-जब भी प्रांतीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी क्षेत्र में उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम के लिए प्रावधान करना वांछनीय है या कटाव के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है, तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा तदनुसार निर्देश दे सकती है।

धारा 3 राज्य सरकार को कटाव के अधीन या कटाव के लिए उत्तरदायी होने की संभावना वाले क्षेत्र को अधिसूचित करने में सक्षम बनाती है। जब यह दिखाई देता है राज्य सरकार कि उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव के अधीन या कटाव के लिए उत्तरदायी होने की संभावना वाले किसी भी क्षेत्र में कटाव की रोकथाम के लिए प्रावधान करना वांछनीय है, राज्य सरकार तदनुसार एक अधिसूचना द्वारा निर्देश जारी कर सकती है। धारा 3 के तहत अधिसूचना में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने से, भूमि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। धारा 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि अधिसूचना जारी करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

अनिवार्य रूप से वन भूमि के संबंध में। अधिसूचना द्वारा कवर की गई भूमि में गैर-वन भूमि भी शामिल हो सकती है। हालांकि, धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में, राज्य सरकार धारा 5 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। धारा 5 ए इस प्रकार हैः

" 5 - ए. कार्यों के निष्पादन और लेने की आवश्यकता के लिए शक्ति

उपाय। धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में

आम तौर पर या ऐसे किसी क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा, प्रांतीय सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है।

(क) खेतों को समतल करना, सीढ़ी लगाना, जल निकासी और तटबंध बनाना; (ख) भूमि का निर्माण-खेतों और घाटियों में कार्य;

(ग) तूफानी जल के लिए नालियों का प्रावधान; (घ) वायु या जल की क्रिया से भूमि का संरक्षण; (ङ) धाराओं का प्रशिक्षण; और

(च) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन और ऐसे कार्यों का निष्पादन

प्रांतीय [2022] 15 एस. सी. आर. की राय में अन्य उपाय जो हो सकते हैं।

सरकार, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो

अधिनियम "।

वर्ष 1926 में किए गए संशोधन से पहले, धारा 4 और 5 ने राज्य सरकार को सामान्य या विशेष आदेश पारित करने के लिए कहा था

सहायता अनुभागों में उल्लिखित नियमों, प्रतिबंधों और निषेधों के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से। हालांकि, संशोधन द्वारा 'स्थायी रूप से' शब्द को हटा दिया गया है। पी. एल. पी. ए. की धारा 4 5, जैसा कि वे 2019 के संशोधन अधिनियम से पहले थीं, पढ़ें

" 4. अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कुछ मामलों को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति। - में। धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में आम तौर पर या पूरे या ऐसे किसी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के संबंध में, प्रांतीय सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अस्थायी रूप से विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकती है।

(अ)

भूमि की सफाई या तोड़-फोड़ या खेती नहीं के प्रकाशन से पहले आम तौर पर खेती के तहत

धारा 3 के तहत अधिसूचना;

(ख)

पत्थर की खुदाई या स्थानों पर चूने को जलाना

जहाँ ऐसा पत्थर या चूने आम तौर पर ऐसा नहीं होता था

प्रकाशन से पहले खनन या जला दिया गया

धारा 3 के तहत अधिसूचनाः

((ग)

पेड़ों या लकड़ी की कटाई, या संग्रह या

किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया को हटाना या अधीनता,

किसी भी वन के इस उपखंड के खंड (बी) में वर्णित के अलावा-घास के अलावा अन्य उपज, बचाएँ वास्तविक घरेलू या कृषि उद्देश्यों के लिए

ऐसे क्षेत्र में अधिकार धारक;

((घ)

पेड़ों, लकड़ी या वन उपज में आग लगाना;

(ई)

भेड़ों, बकरियों का प्रवेश, चराना, चरागाह या प्रतिधारण या ऊंट;

वन की जांच-ऐसी किसी भी उपज से बाहर निकलने वाली उपज

(च)

क्षेत्र; और कस्बों के निवासियों को परमिट देना और

(जी)

गाँव किसी भी नरेंदर सिंह और ओआरएस की सीमा के भीतर या उसके आसपास स्थित होते हैं।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

ऐसे क्षेत्र में अपने उपयोग के लिए कोई पेड़, लकड़ी या वन उपज लेना या भेड़, बकरी या ऊंट को चराना या उसमें खेती करना या इमारतें खड़ी करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे परमिट का उत्पादन और वापसी करना।

5. कुछ मामलों में विनियमन, प्रतिबंध या निषेध करने की शक्ति,

अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर विशेष आदेश द्वारा, कुछ और आगे विषय हैं। - धारा 3 के तहत अधिसूचित किसी भी क्षेत्र की सीमा के भीतर शामिल किसी भी निर्दिष्ट गांव या गांव, या उसके हिस्से या हिस्सों के संबंध में, प्रांतीय सरकार, विशेष आदेश द्वारा,

अस्थायी रूप से विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करें

(अ)

सामान्य रूप से पूर्व में खेती की जाने वाली किसी भी भूमि की खेती

धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के लिए;

(ख)

किसी भी पत्थर का उत्खनन या किसी भी चूने को जलाना

ऐसे स्थान जहां अधिसूचना के प्रकाशन से पहले ऐसे पत्थर या चूने की खुदाई की गई थी या जला दिया गया था धारा 3 के तहत;

((ग)

पेड़ों या लकड़ी को काटना या संग्रह करना या हटाना या

किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीनता, अन्यथा जैसा कि किसी वन के इस उपखंड के खंड (ख) में वर्णित है।

किसी भी उद्देश्य के लिए उत्पादन; और

((घ)

मवेशियों का प्रवेश, चराना, चरागाह या प्रतिधारण

आम तौर पर भेड़, बकरी और ऊंट या ऐसे मवेशियों के किसी भी वर्ग या विवरण के अलावा।

धारा 6 प्रकाशन की प्रक्रियात्मक आवश्यकता को निर्धारित करती है।

उचित जांच के बाद राज्य सरकार की संतुष्टि दर्ज करने के बाद आधिकारिक राजपत्र में धारा 4,5 या 5 ए के तहत जारी अधिसूचनाएं/आदेश, कि आदेशों में निहित निर्देश इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं।

पी. एल. पी. ए. के प्रावधानों को प्रभावी बनाना। धारा 7 धारा 4,5 और 5 ए के तहत विशेष आदेशों से प्रभावित व्यक्तियों को मांग करने में सक्षम बनाती है। क्षतिपूर्ति।

47. हालाँकि मामलों के इस समूह में, व्यापक प्रस्तुतियाँ की गई हैं

हम पाते हैं कि पूरी चुनौती केवल 18 अगस्त 1992 को धारा के तहत जारी किए गए तीन अलग-अलग सरकारी आदेशों से संबंधित है।

4 उक्त तीन गाँवों में विशिष्ट भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. जारी किए गए किसी भी आदेश [2022] 15 एस. सी. आर. को किसी भी रिट याचिका में कोई चुनौती नहीं है।

पीएलपीए की धारा 5 के तहत। यहां तक कि एनजीटी ने भी विवादित आदेशों में धारा 4 के तहत केवल विशेष आदेशों पर भरोसा किया है। इसलिए, हम अपनी चर्चा को इस सवाल तक सीमित कर रहे हैं कि क्या पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के तहत आने वाली भूमि 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन भूमि है। जब किसी विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र के संबंध में धारा 4 के तहत कोई आदेश जारी किया जाता है, जो धारा 4 में प्रदान किए गए किसी भी विशिष्ट निषेध या प्रतिबंध को लागू करने के लिए धारा 3 के तहत अधिसूचित एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, तो ऐसे आदेश को धारा 4 के तहत एक विशेष आदेश कहा जा सकता है। पीएलपीए की धारा 3

किसी बड़े क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना जारी करने पर विचार करता है जब उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम के लिए प्रावधान करना वांछनीय हो। जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि धारा 3 के तहत अधिसूचित एक बड़े क्षेत्र के हिस्से के रूप में वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की संभावना है, तो धारा 4 के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। उप-धारा (4) के विभिन्न खंड पेड़ों, लकड़ी, वन उपज और मवेशियों को संदर्भित करते हैं। पी. एल. पी. ए. की धारा 2 का खंड (सी) विशेष रूप से

यह प्रावधान है कि उक्त शब्दों का वही अर्थ होगा जो 1927 के वन अधिनियम की धारा 2 में इन अभिव्यक्तियों को अलग-अलग दिया गया है। धारा 4 का खंड (ए) राज्य सरकार को धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भूमि की सफाई या टूटने या खेती को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो सामान्य रूप से खेती के तहत नहीं है। धारा 4 के खंड (ए) के संदर्भ में, हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि 1927 के वन अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) का खंड (ए) निषेध करता है। खेती के लिए आरक्षित वन की सफाई। 1927 के वन अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) राज्य सरकार को निजी वन भूमि को तोड़ने या साफ करने, मवेशियों को चराने या वन भूमि पर वनस्पति को साफ करने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जो सरकार में निहित नहीं है। इस तरह का प्रतिबंध निजी स्वामित्व वाली वन भूमि के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लिए लगाया जा सकता है।

प्रावधान में बताए गए कारण। निर्दिष्ट कारणों में से एक भूमि का कटाव से संरक्षण है। यहां तक कि 1927 के वन अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) का खंड (एच) भी किसी भी चीज़ को तोड़ना या साफ करना प्रतिबंधित करता है।

खेती के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित वन का हिस्सा बनने वाली भूमि। पीएलपीए की धारा 4 का खंड (जी) राज्य को सशक्त बनाता है। सरकार उन स्थानों पर पत्थरों के उत्खनन या चूने को जलाने पर प्रतिबंध लगाएगी या रोकेगी जहां धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना से पहले ऐसे पत्थरों या चूने को सामान्य रूप से इस तरह से खनन या जलाया नहीं गया था। समान हैं।

आरक्षित वन का हिस्सा बनने वाली भूमि के संबंध में 1927 के वन अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (जी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। पी. एल. पी. ए. की धारा 4 का खंड (सी) जो सरकार को नरिंदर सिंह और ओ. आर. एस. को सशक्त बनाता है।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

पेड़ों या लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगाना भी एक संकेत है।

जो इंगित करता है कि धारा 4 के तहत एक विशेष आदेश अनिवार्य रूप से वन भूमि के संबंध में होना चाहिए। एक समान प्रतिबंध एक आरक्षित वन पर लागू होता है जैसा कि 1927 के वन अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) में प्रदान किया गया है। पीएलपीए की धारा 4 का खंड (डी) राज्य सरकार को पेड़ों, लकड़ी या वन उपज में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। इस तरह का प्रतिबंध आरक्षित वन के संबंध में धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (बी) और (एफ) में भी पाया जाता है। धारा 4 का खंड (च) राज्य सरकार को भेड़, बकरी या ऊंट के प्रवेश, चराने, चरागाह या प्रतिधारण को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। 1927 के वन अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) का खंड (डी) आरक्षित वन का हिस्सा बनने वाली भूमि पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाता है।

पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के खंड (एफ) और (जी) वन उपज को संदर्भित करते हैं। धारा 4 के तहत अधिसूचित किसी भी ऐसे क्षेत्र से उत्पन्न। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है,

पी. एल. पी. ए. ने संदर्भ द्वारा पी. एल. पी. ए. में 1927 के वन अधिनियम में "वन उपज" की परिभाषा को शामिल किया है। 1927 के वन अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (4) "वन उपज" को परिभाषित करती है जो इस प्रकार हैः

" 2 (4) " वन-उपज में शामिल हैं -

(ख) निम्नलिखित जब पाए जाते हैं, या जंगल से लाए जाते हैं, तो वे हैं - कहने के लिए -

(i) पेड़ और पत्ते, फूल और फल, और अन्य सभी भाग या उपज

यहाँ पहले उल्लेख नहीं किया गया है, पेड़ों का,
((ii) ऐसे पौधे जो पेड़ नहीं हैं (जिनमें घास, लता, खरपतवार और अन्य शामिल हैं)।

काई), और ऐसे पौधों के सभी भाग या उपज,

(iii) जंगली जानवर और खाल, दांत, सींग, हड्डियाँ, रेशम, कोकून, शहद

और मोम, और अन्य सभी भागों या जानवरों की उपज, और

((iv) पीट, सतह की मिट्टी, चट्टान और खनिज (चूने-पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खानों या खदानों के सभी उत्पादों सहित)।

अनिवार्य रूप से वन भूमि के संबंध में। जबकि, पी. एल. पी. ए. की धारा 3 कटाव के अधीन या कटाव के लिए उत्तरदायी होने की संभावना वाले किसी भी क्षेत्र के संबंध में एक सामान्य अधिसूचना जारी करने पर विचार करती है जब राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि उप-मृदा जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम के लिए प्रावधान करना वांछनीय है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पी. एल. पी. ए. का एक उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना है जो वनों की कटाई के कारण हो सकता है। जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि वनों की कटाई या आसन्न वनों की कटाई के परिणामस्वरूप, धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्र से बाहर किसी विशेष क्षेत्र का कटाव होने की संभावना है, तो राज्य सरकार एक विशेष आदेश जारी करके धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है। इसका कारण यह है कि धारा 4 में दिए गए उपायों का उद्देश्य वन क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकना है। पी. एल. पी. ए. की धारा 3 एक बड़े क्षेत्र के संबंध में एक अधिसूचना जारी करने पर विचार करती है जब संरक्षण के लिए प्रावधान करना वांछनीय हो। उप-मृदा जल या कटाव की रोकथाम। जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि धारा 3 के तहत अधिसूचित एक बड़े क्षेत्र के हिस्से के रूप में वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की संभावना है, तो धारा 4 के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जिस विशिष्ट भूमि के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत एक विशेष आदेश जारी किया गया है, उसमें 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) से (iv) द्वारा शासित वन के सभी क्षेत्र होंगे। इसलिए, पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि के संबंध में, राज्य सरकार या राज्य के अधिकारी 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद ही गैर-वन उपयोग की अनुमति दे सकते हैं।

48. पी. एल. पी. ए. की धारा 5 के खंड (ए) में प्रतिबंध या

धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले सामान्य रूप से खेती के तहत किसी भी भूमि की खेती को प्रतिबंधित करना। हालांकि, धारा 5 के तहत प्रतिबंध या निषेध करने की शक्ति का प्रयोग उस मामले में किया जा सकता है जहां धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले, किसी भी पत्थर का उत्खनन या किसी भी चूने को जलाया जा रहा था। इस प्रकार, धारा 4 और पी. एल. पी. ए. की धारा 5 में उपयोग की गई भाषा के बीच एक स्पष्ट अंतर है। हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारे लिए इस मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है कि क्या पी. एल. पी. ए. की धारा 5 के तहत एक विशेष अधिसूचना का हिस्सा बनने वाली भूमि 1980 के तहत वन बन जाती है।

वन अधिनियम।

नरिंदर सिंह और हमारा। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

राज्य द्वारा ली गई स्थिति का प्रभाव

आशीर्वाद/विश्वास और विश्वास में सरकार एकरूपता।

49. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि 08 दिसंबर 1996 को प्रधान मुख्य संरक्षक श्री बनारसी दास द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था। 1996 की सिविल रिट याचिका No.171 में हरियाणा राज्य के वनों का विवरण। उक्त दीवानी रिट याचिका पर इस न्यायालय ने 1997 के गोडावर्मन मामले में 12 दिसंबर 1996 के अपने फैसले में विचार किया था। द.

उक्त हलफनामे में लिया गया रुख यह था कि राज्य पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित भूमि को वन मान रहा था। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने बाद के पत्राचार/हलफनामों/अभिवचनों में भी इसी तरह का रुख अपनाया था। 21 तारीख के पत्र में

दिसंबर 1992 में भारत सरकार के उप-वन महानिरीक्षक ने हरियाणा सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को संबोधित करते हुए कहा कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित क्षेत्र को वन के रूप में दर्ज किया गया है।

सरकारी रिकॉर्ड। जैसा कि उक्त पत्र में कहा गया है, इस तथ्यात्मक स्थिति को 9 दिसंबर 1992 के पत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा संबोधित पत्र के आधार पर नोट किया गया है। हरियाणा सरकार। निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित प्रधान मुख्य वन संरक्षक की बैठक में चर्चा का रिकॉर्ड

25 अगस्त 2014 को भारत सरकार के वन जनरल और विशेष सचिव (डी. जी. एफ. और एस. एस.) को विद्वान वकील श्री ए. डी. एन. राव द्वारा प्रस्तुत एक नोट के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है। इस बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सी. आर. जोजरीवाल ने भाग लिया। पैराग्राफ 2 में यह उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय के अनुमोदन के अधीन इसमें बताए गए विभिन्न क्षेत्र

1980 के वन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसे अनिवार्य रूप से 'वन' माना जाएगा। जिन भूमि को अनिवार्य रूप से वन माना जाना था, उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। श्रेणी (ए) अभिलेखित वन क्षेत्रों की थी और श्रेणी (बी) शब्दकोश के अनुसार वनों की थी। श्रेणी (ए) के खंड (सी) में यह प्रावधान किया गया है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत जारी अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को 1980 के वन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वन माना जाएगा। विजय बंसल के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में भी हरियाणा सरकार का रुख परिलक्षित होता है। 15 मई 2009 को दिए गए उक्त निर्णय में यह माना गया कि [2022] 15 एस. सी. आर. के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत अधिसूचना के भाग बनाने वाले क्षेत्र।

जिनमें से पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को वन अधिनियम 1980 के प्रयोजनों के लिए वन भूमि के रूप में माना जाना है। हरियाणा राज्य द्वारा उक्त मामले में 2009 का सी. एम. No.12170 होने के नाते एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें फैसले में संशोधन की मांग की गई थी। उक्त आवेदन की प्रार्थना 5 प्रासंगिक है जिसे सुविधा के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है।

" (5) तदनुसार यह प्रार्थना की गई है कि केवल वे भूमि जहाँ पी. एल. पी. ए., 1900 की धारा 4 (ए) या 5 (ए) के तहत अधिसूचित एक विशेष आदेश द्वारा सफाई, तोड़-फोड़ या खेती को प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें 'वन भूमि' माना जा सकता है जैसा कि एम. सी. मेहता के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, न कि उन भूमि के संबंध में जहां धारा 4 (सी) और (डी) या धारा 5 (सी) के तहत सामान्य प्रतिबंध लगाए गए हैं और

(घ) पी. एल. पी. ए. का, 1900 "।

उक्त आवेदन में, एक विशिष्ट अभिवचन है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचनाओं द्वारा कवर की गई भूमि को माना गया था। वन भूमि के रूप में।

50. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ

1980 वन अधिनियम। इस प्रकार, यह राज्य सरकार द्वारा शपथ पर लंबित कार्यवाही में लिया गया स्पष्ट रुख था। 51. हम यहां इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि पत्रों, शपथपत्रों और अभिवचनों में राज्य सरकार की ओर से दिए गए बयान इस प्रकार नहीं हो सकते हैं -

पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत एक विशेष अधिसूचना द्वारा कवर की गई भूमि की स्थिति के मुद्दे पर निर्णय लेना। इस मुद्दे पर निष्कर्ष केवल राज्य सरकार द्वारा पत्राचार और हलफनामों में पहले लिए गए रुख पर आधारित नहीं हो सकता है। पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, उपरोक्त रुख से स्वतंत्र रूप से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि में 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के भीतर वन के सभी गुण हैं। इसलिए, हमने माना है कि धारा 4 के तहत विशेष अधिसूचना द्वारा कवर की गई भूमि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के भीतर वन भूमि होगी।

नरिंदर सिंह और हमारा। वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय

52. 1997 के गोडावर्मन के मामले में पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के कानूनी प्रभाव का भी उल्लेख नहीं है। यहां तक कि 2008 के गोडावर्मन के मामले में भी उपरोक्त मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। में। पैराग्राफ 21 में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में खनन गतिविधि को इस आधार पर प्रतिबंधित किया जाएगा कि उक्त भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया था। प्रथम एम. सी. मेहता के मामले का फैसला दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने किया था।

न्यायाधीश। जैसा कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 79 से देखा जा सकता है, पी. एल. पी. ए. की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के कानूनी प्रभाव का मुद्दा 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के लागू होने के संदर्भ में पीठ के समक्ष बहुत अधिक उठा। हालांकि, पैराग्राफ 82 में, पीठ ने विशेष रूप से कहा कि पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के कानूनी प्रभाव पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। इस न्यायालय ने श्री बनारसी दास के हलफनामे सहित केवल राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामों पर भरोसा किया। इस न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार अपने पहले के हलफनामों में जो कहा गया है, उसके विपरीत रुख नहीं अपना सकती है। इस प्रकार, पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के कानूनी प्रभाव के बारे में हमने जो निर्णय लिया है, वह इस मामले में इस न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया था। तीसरे एम. सी. मेहता का फैसला दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने किया था। निर्णय के पहले दो पैराग्राफ से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने मेसर्स द्वारा किए गए आवेदन पर विचार किया। आर. कांत एंड कंपनी यह मुद्दा गाँव अनंगपुर में कुछ भूमि के संबंध में धारा 4 के तहत 18 अगस्त 1992 के आदेश के उल्लंघन के बारे में था। पीठ ने इस तर्क पर विचार किया कि 18 अगस्त 1992 के उक्त आदेश के तहत अधिसूचित भूमि वन नहीं थी। इस निर्णय में भी हम पाते हैं कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 की योजना और 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 की तुलना में इसके कानूनी प्रभाव की गहन जांच नहीं की गई थी। यहां तक कि विजय बंसल के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय भी पी. एल. पी. ए. अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत आदेशों के कानूनी प्रभाव के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

53. बी. एस. संधू के मामले में इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने 12 अक्टूबर के आदेश पर विचार किया।

2004 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संधू ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि जिला रोपड़ के गाँव करोरन में फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब के कब्जे में भूमि, जिसके वे मालिक थे, वन भूमि नहीं थी और भूमि या तो कृषि [2022] 15 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गैर-खेती योग्य बंजर भूमि। उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया

उल्लेख और अभिनिर्धारित किया कि गाँव करोरन को इसके तहत अधिसूचित किया गया है

3 पी. एल. पी. ए. और के तहत निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है

4 और पीएलपीए के 5। इसलिए, यह माना गया कि इस क्षेत्र की भूमि 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन थी। में।

उक्त निर्णय के 18 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 18. बेहतर संरक्षण के लिए ऊपर निकाली गई पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 की धारा 3 की भाषा से यह स्पष्ट होगा और

के भीतर या उसके आसपास स्थित किसी भी स्थानीय क्षेत्र की सुरक्षा

शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो प्रभावित होने की संभावना है

उस सीमा में वनों को नष्ट करने या "चो" की कार्रवाई से ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है।

तदनुसार। पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 में "स्थानीय क्षेत्र" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें न केवल "वन भूमि" बल्कि अन्य भूमि भी शामिल हो सकती है। पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 की धारा 4 में निकाला गया

विशेष आदेश, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से विनियमित करने के लिए, प्रतिबंधित या खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। इन खंडों को पढ़ने से पता चलता है कि खेती, भेड़ चराने जैसी गतिविधियाँ और

के तहत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित कस्बों और गाँवों के निवासियों द्वारा बकरियों और इमारतों का निर्माण

धारा 3 को किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध किया जा सकता है।

या स्थानीय सरकार का विशेष आदेश। ये सभी गतिविधियाँ

इन्हें आम तौर पर जंगलों में नहीं चलाया जाता है। इसी तरह, पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 की धारा 5 के तहत, स्थानीय सरकार को विशेष आदेश द्वारा, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से किसी भी भूमि की खेती को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने या झुंड, चरागाह को प्रवेश देने का अधिकार दिया गया था।

या आम तौर पर भेड़ और बकरियों के अलावा अन्य मवेशियों को बनाए रखें। ये

गतिविधियाँ भी आम तौर पर जंगलों में नहीं की जाती हैं।

पैराग्राफ 19 में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 19. इसलिए, हमारे विचार में, भूमि जो पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित है और स्थानीय लोगों के आदेशों द्वारा विनियमित है।

पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत सरकार "वन भूमि" हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ग्राम करोरन, जिला रोपड़ की पूरी भूमि, जिसे धारा इंद्र सिंह और ओआरएस के तहत अधिसूचित किया गया है।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

3 पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 और निषेध द्वारा विनियमित है

धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निर्देश "वन" हैं।

भूमि "कानून में बिल्कुल भी सही नहीं है। समावेशन का आधार

गाँव करोरन, जिला रोपड़ का पूरा क्षेत्र, की सूची में दिनांकित आदेश के अनुसार पंजाब राज्य में वन क्षेत्र

12-12-1996 टी. एन. गोडावर्मन में इस न्यायालय का

तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ [टी. एन. गोडवर्मन]

पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित और उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 की नियामक व्यवस्था के तहत होने के कारण " वन भूमि "कानूनी रूप से भी सही नहीं है"।

पैराग्राफ 23 में जो टिप्पणियां की गई हैं, वे महत्वपूर्ण हैं।

निर्णय जो इस प्रकार हैः

" 23. हमने इस न्यायालय के दो फैसलों की भी जांच की है।

मेहता बनाम। भारत संघ, (2008) 17 एस. सी. सी. 294] पंजाब राज्य की ओर से उद्धृत किया गया और हम पाते हैं कि उपरोक्त निर्णय राज्य में अरावली पहाड़ियों के मामले में प्रस्तुत किया गया है

हरियाणा और इसमें यह माना गया था कि राज्य वन के रूप में

विभाग क्षेत्रों का इलाज कर रहा था और दिखा रहा था

" वन ", वास्तव में और कानून में, क्षेत्र वन था और गैर-वन गतिविधियों को ऐसे क्षेत्रों में पूर्व अनुमति के बिना अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980। इन दो फैसलों में, इस न्यायालय ने क्षेत्रों को शामिल करने के आधार की जांच नहीं की है

राज्य वन विभाग द्वारा वन में और न ही इस न्यायालय ने

इस पर विचार किया जाता है कि क्या कोई भूमि "वन भूमि" बन जाती है केवल अधिसूचना के तहत इसे शामिल करके

पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा है कि रोपड़ जिले के ग्राम करोरन की पूरी भूमि को वन क्षेत्रों में शामिल करने का आधार

यह था कि पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत भूमि को बंद कर दिया गया था और हम

इस आधार को कानून में सही नहीं पाया है।

54. पीठ ने 1927 के वन अधिनियम की योजना और पी. एल. पी. ए. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर गौर नहीं किया है। इस प्रकार, पूरे

बी. एस. संधू के मामलों में अपीलार्थी का जोर इस बात पर था कि पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत अधिसूचना में केवल एक क्षेत्र को शामिल करने से कोई लाभ नहीं होगा।

वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए एक जंगल है

1980 वन अधिनियम।

55. इस प्रकार, अनिवार्य रूप से बी. एस. संधू 3 के मामले में, इस न्यायालय ने पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना पर विचार किया जो

पूरा गाँव विचाराधीन है। यद्यपि उक्त निर्णय में धारा 4 और 5 का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि श्री बी. एस. संधू की भूमि के संबंध में धारा 4 के तहत कोई विशेष आदेश जारी किया गया था या नहीं। इसके अलावा, उक्त निर्णय इस बात की अनदेखी करता है कि पी. एल. पी. ए. का एक उद्देश्य था -

वनों की कटाई को रोकें क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मिट्टी का कटाव हो सकता है। द.

अदालत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 4 में प्रदान किए गए प्रतिबंधों से पता चलता है कि यह केवल 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर वन की ट्रैपिंग वाली भूमि पर लागू किया जा सकता है। बी. एस. संधू 3 के मामले में निर्णय, बहुत सम्मान के साथ, इन महत्वपूर्ण कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है।

अन्य मुद्दे

सिंह दावा कर रहे हैं कि वे अनंगपुर, मेवला महाराजपुर और अंखिर गाँवों के निवासी हैं जो धारा 4 के तहत 18 अगस्त 1992 को जारी किए गए तीन अलग-अलग आदेशों के दायरे में आते हैं। 2013 की सिविल अपील No.10294 के अभिलेख पर उक्त आदेशों के अवलोकन से पता चलेगा कि आदेश विशेष हैं। उसमें उल्लिखित केवल कुछ विशिष्ट भूमि से संबंधित आदेश

वहाँ अनुसूची। अनुसूची में भूमि किला या अन्य प्रासंगिक संख्याओं के संदर्भ में वर्णित विशिष्ट भूमि हैं। यहाँ तक कि भूमि के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। अधिसूचनाएँ पूरे गाँव से संबंधित नहीं हैं। यही बात उक्त तीन गाँवों की विशिष्ट भूमि के संबंध में भी है। हरियाणा राज्य के अतिरिक्त शपथ पत्र में उद्धृत आंकड़ों पर भरोसा करके और कुछ नक्शे प्रस्तुत करके, श्री

विद्वान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने यह तर्क देने की कोशिश की कि यदि

हस्तक्षेप करने वालों में से कुछ की दलीलें स्वीकार की जाती हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद के पूरे जिले अनुभाग नरेंदर सिंह और ओआरएस के अर्थ के भीतर वन होंगे।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

2 1980 का वन अधिनियम। इस पहलू पर, जो प्रासंगिक है वह राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त हलफनामे के पैराग्राफ 50 में शामिल किया गया चार्ट है। हम एक तैयार संदर्भ के लिए चार्ट को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

पी. एल. पी. अधिनियम, 1900 (क्षेत्रीय क्षेत्र) के तहत अधिसूचित क्षेत्र

हेक्टर)

जियोग्रा

एस.

जिला

पी. एल. पी. अधिनियम, 1900

के तहत अधिसूचित क्षेत्र

फ़िकल क्षेत्र

एन.

% में से

यू/एस 4

स्तम्भ 7

और/या 5 यू/एस 4 (द्वारा

कुल

यू/एस अनुभाग

कुल के साथ

जनरल

अधिसू

चित किया गया

(के द्वारा

जियोग्रा

3

आदेश)

विशेष

क्षेत्र

फ़िकल क्षेत्र

आदेश)

ज़िले का

1

8

4

7

6

3

2

5

1

पंचकुला

89800

4310

70476

89800

898

00

100.00 %

अम्बाला

2

157400

1613

8562

157400

157

400

100.00 %

176

800

3 यमुनानगर

176800

2498

72693

176800

100.00 %

0.01 %

कुरुक्षेत्र

153000

4

8

0

8

8

कैथल

0.00 %

5

231700

0

0

0

0

0

0

0.00 %

252000

कमल

6

0

0

126800

0.00 %

0

0

7

पानीपत

0

18

67

0.88 %

1867

0

सोनीपत

8

0.13 %

9

रोहतक

0

22

1

221

झज्जर

21

0

0.11 %

10

0

210

11

गुरुग्राम

125800

6821

125800

125800

125

800

100.00 %

74100

5611

14610

74100

741

00

100.00 %

12

फरीदाबाद

13

पलवल

100.00 %

135900

135

900

0

मेवात

130677

150700

150700

6432

150

700

100.00 %

14

महेन्द्रगढ़

15

189900

1089

189900

189900

189

900

100.00 %

159400

159400

971

159400

159

400

100.00 %

16

रेवाड़ी

हिसार

398300

0

0

0.00 %

17

0

0

253800

0.00 %

0

फतेहाबाद

18

0

0

0

सिरसा

0.00 %

427700

0

0

19

0

0

20

भिवानी

328300

62

221299

328300

328

300

100.00 %

21

चरखी दादरी

149500

0

92669

149500

149

500

100.00 %

0.00 %

जींद

270200

0

0

0

0

22

कुल (राज्य)

173

9907

39.35 %

4421200

31738

1086086

1739907

57. इस प्रकार, धारा 4 और 5 के तहत विशेष आदेश

22 गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों सहित हरियाणा के जिलों का कुल क्षेत्रफल 44,21,200 हेक्टेयर में से केवल 31,738 हेक्टेयर है। कम से कम 8 जिलों में एक भी भूमि विशेष प्राधिकरण द्वारा शासित नहीं है।

धारा 4 और 5 के तहत आदेश। इसलिए, 22 जिलों की कुल भूमि का केवल 7.1 प्रतिशत ही पीएलपीए की धारा 4 और 5 के तहत जारी विशेष आदेशों के दायरे में आता है। धारा 4 और 5 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि के इन आंकड़ों को देखते हुए, धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि का प्रतिशत जिलों के कुल क्षेत्र की तुलना में महत्वहीन होना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार द्वारा पेश की जाने वाली तस्वीर पूरी तरह से भ्रामक है और

भ्रामक।

58. अपीलों के इस समूह में, हम केवल तीन के बारे में चिंतित हैं

उक्त तीन के संबंध में 18 अगस्त 1992 के अलग-अलग आदेश

गाँव। एक निवेदन प्रस्तुत किया गया कि उक्त तीन गाँवों को कवर करते हुए पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

कि अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि 20 साल से अधिक के अंतराल के बाद उक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है। सकल देरी का आधार ही उक्त चुनौती को नकारात्मक बनाने के लिए पर्याप्त है। राज्य सरकार को प्रक्रिया संबंधी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए पहली बार नहीं कहा जा सकता है।

20 साल से अधिक। इसलिए, 20 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद धारा 6 और 7 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर उक्त आदेशों को चुनौती देना उचित नहीं होगा। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी 17 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना पर रिलायंस को रखा गया था। उक्त अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार ने फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ तहसील की सीमा से कुछ क्षेत्रों को बाहर कर दिया। उक्त बहिष्कृत क्षेत्रों में से एक नई तहसील का गठन किया गया जिसे फरीदाबाद तहसील के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, 10 अप्रैल 1992 को बल्लभगढ़ की पूरी तहसील के संबंध में पीएलपीए की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। 18 अगस्त 1992 के तीन विशेष आदेश विशेष रूप से वर्णित हैं।

बल्लभगढ़ तहसील के उक्त तीन गाँवों में भूमि। इसलिए, सकल देरी के अलावा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि 18 अगस्त 1992 की धारा 4 के तहत विशेष आदेश एक सामान्य आदेश से पहले नहीं थे।

तहसील बल्लभगढ़ के संबंध में पी. एल. पी. ए. की धारा 3 के तहत। तीन विशेष आदेश विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की गई उचित जांच का उल्लेख करते हैं कि उक्त आदेशों में निहित निषेध पी. एल. पी. ए. के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक हैं।

59. एक अन्य तर्क यह था कि उक्त तीन गाँव 1971 के अधिनियम के तहत घोषित नियंत्रित क्षेत्रों के साथ-साथ

एक अंतिम विकास योजना। 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रावधान केंद्रीय कानूनों सहित हरियाणा राज्य पर लागू अन्य सभी कानूनों को दरकिनार करता है। इसके अलावा, एक बार जब यह पाया जाता है कि 18 अगस्त 1992 के उक्त तीन आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि वन अधिनियम 1980 की धारा 2 के खंड (ii) से (iv) द्वारा कवर की गई वन भूमि है, तो वन भूमि के रूप में इसकी स्थिति को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि धारा 2 का पालन नहीं किया जाता है।

60. यह तर्क देने का एक अस्पष्ट प्रयास किया गया कि सबसे पहले धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि को वन माना जा सकता है। 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर केवल संबंधित आदेशों की तारीख से और यह कि यह एक सीमित अवधि के लिए वन बना रहेगा जिसके लिए उक्त विशेष आदेश लागू हैं। दोनों तर्क हमारी बिल्कुल भी सराहना नहीं करते हैं। नरिंदर सिंह एंड ओआरएस के तहत विशेष आदेश पारित करने का अवसर।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

धारा 4 तब उत्पन्न होती है जब वे भूमि जिनके संबंध में विशेष आदेश दिए जाते हैं -

जारी किए जाने की मांग की गई, वन भूमि हैं। यह सच है कि ऐसी भूमि पर वन अधिनियम 1980 की धारा 2 25 अक्टूबर 1980 से लागू होगी जब वही लागू किया गया था। एक बार जब कोई भूमि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के दायरे में आ जाती है, चाहे धारा 4 के तहत विशेष आदेश लागू रहें या नहीं, उक्त अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाली भूमि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के दायरे में आने वाले वनों की श्रेणी में आती रहेगी।

2019 का संशोधन अधिनियम

61. राज्य सरकार के साथ-साथ अपीलकर्ताओं ने 2019 के संशोधन अधिनियम पर भरोसा किया है। हमारा ध्यान भी आमंत्रित किया गया था 1985 की रिट याचिका (सिविल) No.4677 में दिनांक 1 मार्च 2019 का आदेश (एम. सी. मेहता बनाम. भारत संघ और अन्य) . उक्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि 2019 के संशोधन अधिनियम पर इसके बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी

इस न्यायालय की अनुमति। हरियाणा राज्य द्वारा 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति के लिए 1985 की रिट याचिका (सिविल) No.4677 में I.A.No.93600/2021 दायर किया गया है। अपील के इस समूह में पारित हमारे एक आदेश में, हमने देखा था कि उक्त प्रार्थना पर इस समूह में ही विचार किया जा सकता है।

62. 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा, सरकार में संशोधन अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से धारा 3 को प्रतिस्थापित किया गया है।

राजपत्र। प्रतिस्थापित धारा 3 में राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने पर विचार किया गया है। इसमें प्रारंभिक अधिसूचना पर आपत्तियां आमंत्रित करने और विरोध करने वालों को सुनवाई देने का भी प्रावधान है। धारा 3 ए जोड़ी गई थी जिसमें प्रावधान किया गया था कि पीएलपीए के प्रावधान अंतिम विकास योजनाओं या किसी अन्य शहर में शामिल भूमि पर लागू नहीं होंगे। 1971 के उक्त अधिनियम, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 आदि के प्रावधानों के तहत प्रकाशित सुधार योजनाएं या योजनाएं। धारा 4 में एक परंतुक जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि धारा 4 के तहत जारी किसी भी आदेश की वैधता की अवधि धारा 3 के तहत संबंधित अधिसूचना की वैधता की अवधि से अधिक नहीं होगी। धारा 23 को 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में शामिल किया गया था। इसमें प्रावधान है कि पी. एल. पी. ए. के तहत जारी किए गए आदेशों और अधिसूचनाओं को संशोधित माना जाएगा ताकि ऐसे आदेश या अधिसूचना जारी करने या प्रकाशित करने की तारीख से धारा 3 ए के तहत भूमि की श्रेणियों को बाहर रखा जा सके। इसके अलावा,

धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ग) में प्रावधान है कि समाप्ति [2022] के बाद एस. सी. आर.

ऐसे आदेशों या अधिसूचनाओं में बताई गई अवधि के विनियम, लगाए गए प्रतिबंध या प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। 2019 के संशोधन अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि धारा 4 ए

शामिल किया गया। इसमें प्रावधान है कि धारा के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में

3 , राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्रों के पूरे या किसी भी भाग में, सामान्य आदेश द्वारा पेड़ों और लकड़ी की कटाई को अस्थायी रूप से विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकती है। धारा 4 ए की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले धारा 4 के तहत जारी किए गए सभी सामान्य आदेश धारा 4 ए के तहत जारी किए गए माने जाएंगे। धारा 4 ए के साथ संलग्न एक टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रकाशन से पहले धारा 4 के तहत जारी किए गए सभी सामान्य आदेश या उसके तहत की गई अधिसूचनाएं केवल पेड़ों की कटाई को अस्थायी रूप से विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से होंगी, न कि किसी अन्य गतिविधि को विनियमित करने या ऐसे क्षेत्र के लिए अनुमेय भूमि उपयोग में प्रतिबंध या परिवर्तन लगाने के लिए। 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) का कुछ महत्व है। यह नीचे रखता है

कि उक्त संशोधन अधिनियम को 1 नवंबर 1966 से लागू माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

63. याचिकाओं के इस समूह में, हम उक्त के संबंध में 18 अगस्त 1992 को जारी धारा 4 के तहत तीन विशेष आदेशों से संबंधित हैं।

तीन गाँव। उक्त आदेशों का प्रभाव यह है कि उसमें निर्दिष्ट भूमि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के भीतर वन भूमि है। भले ही ऐसे आदेशों को रद्द कर दिया जाता है या संशोधित किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है, 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 द्वारा शासित वन भूमि के समान भूमि की स्थिति। उसमें दी गई उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे बदला नहीं जा सकता है। एक बार जब किसी भूमि को 1980 के वन अधिनियम के अर्थ के भीतर 'वन' पाया जाता है, तो गैर-वन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोगकर्ता हमेशा 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 द्वारा शासित होगा। दूसरा, धारा 2 के खंड (i) में प्रावधान है कि 1927 के वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन के मामले में भी राज्य सरकार यह घोषणा करते हुए आदेश पारित नहीं कर सकती है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना यह आरक्षित वन नहीं रहेगा। तीसरा, धारा 2 एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है जो किसी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ को ओवरराइड करता है जिसमें लागू होने वाले सभी राज्य और केंद्रीय कानून शामिल होंगे।

राज्य के लिए। इसलिए, प्रथम दृष्टया, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 2019 का संशोधन अधिनियम 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के प्रतिकूल और उल्लंघनकारी होगा, यदि अन्यथा समझा जाता है। इसलिए, 2019 का संशोधन अधिनियम प्रभावी हो या न हो, यह नरींदर सिंह और ओआरएस की स्थिति को नहीं बदलेगा।

वी. दिवेश भूटानी और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि के रूप में उक्त भूमि के पास वन अधिनियम 1980 के अर्थ के भीतर 25 अक्टूबर 1980 से वन के सभी क्षेत्र हैं। इसलिए, हमारे लिए इन याचिकाओं में इस मुद्दे से निपटना आवश्यक नहीं है कि क्या 1985 की रिट याचिका (सिविल) No.4677 में पारित दिनांक 1 मार्च 2019 के आदेश को संशोधित किया जाना चाहिए। उक्त रिट याचिका पर विचार करने वाली पीठ को उक्त प्रार्थना पर विचार करना होगा।

निष्कर्ष और सक्रिय भाग

64. इस प्रकार, हमारा मानना है कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के दायरे में आने वाली भूमि में वन भूमि के सभी भाग हैं।

1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के भीतर और इसलिए, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी 25 अक्टूबर 1980 से केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना गैर-वन गतिविधियों के लिए इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकते हैं। केंद्र की पूर्व अनुमति

वन या मानित वन भूमि के उपयोगकर्ता के किसी भी परिवर्तन की अनुमति देने का सार सरकार है। हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों के निर्वाह के दौरान भी, केंद्र सरकार की मंजूरी से, राज्य या एक सक्षम प्राधिकारी गैर-वन उपयोग के लिए अनुमति दे सकता है। यदि 1980 के वन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार इस तरह के गैर-वन उपयोग की अनुमति दी जाती है, तो उस हद तक पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत विशेष आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू होंगे।

65. इसलिए, पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी किए गए 18 अगस्त 1992 के विशेष आदेशों के तहत आने वाली भूमि - 2017 के अपील (सिविल) Nos.7220-7221 के लिए विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश। इसलिए, सभी संबंधित अधिकारी केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, 25 अक्टूबर 1980 के बाद बनाई गई उक्त भूमि पर विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि पर खड़ी और गैर-वन गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली शेष अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे, और आगे पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए जिसमें शामिल हैं -

वनरोपण/वनरोपण कार्यक्रम सही तरीके से शुरू करना। के रूप में जहाँ तक धारा 5 के तहत विशेष आदेशों द्वारा कवर की गई भूमि का संबंध है, हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसलिए, अधिकारियों को होगा

मामले-दर-मामले के आधार पर धारा 5 के तहत उक्त आदेशों के अंतर्गत आने वाली भूमि की स्थिति तय करना।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. प्रभावित व्यक्तियों के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई से पहले और/या

18 अगस्त 1992 को पी. एल. पी. ए. की धारा 4 के तहत जारी किए गए विशेष आदेशों के तहत आने वाली भूमि के संबंध में गैर-वन गतिविधियों को रोकने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे और इस तरह की कार्यवाही को अंत में आज से तीन महीने के भीतर समाप्त करेंगे और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उसी समय के भीतर उस संबंध में।

67. लिखित याचिका (सिविल) सं। 1008 और 2021 का 1031 उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया है। सिविल अपील सं। 10294 2013 का, 2014 का 8454,8173

2016 और 2013 के 11000 का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया गया है और एनजीटी द्वारा पारित किए गए आदेशों को तदनुसार संशोधित किया गया है। 68. 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.1320 के संबंध में, यह विशेष अवकाश याचिकाओं में जारी निर्देशों द्वारा शासित होगी।

पात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए 2017 की अपील (सिविल) No.7220-7221 करने के लिए। याचिकाकर्ता हमेशा उस उद्देश्य के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेज सकते हैं। 2021 की लिखित याचिका (सी) No.1320 का निपटारा किया जाए।

तदनुसार।

69. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)